57वीं वार्षिक रिपोर्ट
57th Annual Report
2012-13

एफ. सी. आई. एल.

FCIL

दि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

The Fertilizer Corporation of India Limited
(A Government of India Undertaking)

अनुक्रमणिका
CONTENTS

निदेशक मंडल, प्रमुख कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक-एकक, एकक/प्रभाग/कार्यालय, पंजीकृत कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, लेखापरीक्षक, बैंकर्स तथा कानूनी सलाहकार	:	2
Board of Directors, Principal Executives, Chief Executives-Units, Units/Division/Office, Registered Office, Central Office, Auditors, Bankers and Legal Advisers	:	2
सूचना/Notice	:	6
निदेशकों की रिपोर्ट/Directors' Report	:	7
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/Auditors' Report	:	37
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	:	48
Comments of the Comptroller and Auditor General of India	:	49
तुलन-पत्र/Balance Sheet	:	50
लाभ एवं हानि लेखा/Profit & Loss Account	:	52
अनुसूची 2 से 23/Note 2 to 23	:	54
लेखा विधि नीतियां तथा टिप्पणियाँ जो लेखों का भाग हैं (अनुसूची : 1)		
Accounting Policies & Notes Forming Part of Accounts (Note : 1)	:	74
नकद प्रवाह विवरण/Cash Flow Statement	:	87

निदेशक मंडल

श्री सतीश चन्द्र, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (पी एण्ड ए),
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार
(12.07.2012 से)

श्री शाम लाल गोयल, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव (पी एण्ड पी),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का
अतिरिक्त कार्यभार
(31.3.2011 से 12.07.2012 तक)

श्री सुशील पाल
निदेशक (एफ.ए.)
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(18.07.2013 से)

श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी
निदेशक (एफ.ए.)
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार
(30.10.2008 से 18.07.2013 तक)

श्री एस. आनंदन,
उप सचिव
उर्वरक विभाग
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(8.8.2011 से)

BOARD OF DIRECTORS

Shri Satish Chandra, IAS
Joint Secretary (P&A),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman & Managing Director
(w.e.f.12.07.2012)

Shri Sham Lal Goyal, IAS
Joint Secretary (P&P),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chairman &
Managing Director
(From 31.3.2011 to 12.07.2012)

Shri Sushil Pal
Director (FA),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(w.e.f. 18.07.2013)

Smt. T.C.A. Kalyaani
Director (FA),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Director (Finance)
(From 30.10.2008 to 18.07.2013)

Shri S. Anandan
Dy. Secretary,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(w.e.f. 8.8.2011)

श्री विजय रंजन सिंह,
निदेशक (एफ),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(27.08.2012 से)

Shri Vijay Ranjan Singh
Director (F)
Deptt. of Fertilizers
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(w.e.f. 27.08.2012)

डॉ. प्रदीप कुमार
विशेष निदेशक (बी.आई.एफ.आर.)
(4.2.2011 से)

Dr. Pradeep Kumar
Special Director, BIFR
(w.e.f. 4.2.2011)

श्री धीरेन्द्र रस्तोगी,
विशेष निदेशक, बी.आई.एफ.आर.
(06.06.2012 से 14.10.2012 तक)

Shri Dhirendra Rastogi
Special Director, BIFR
(From 06.06.2012 to 14.10.2012)

श्रीमती ललिथा दास
उप सचिव,
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(22.12.2010 से 25.06.2012 तक)

Smt. Lalitha Das
Dy. Secretary,
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(From 22.12.2010 to 25.06.2012)

श्री नीरज सिंघल
निदेशक (पी.एस.यू.),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
(25.06.2012 से 27.08.2012 तक)

Shri Neeraj Singhal
Director (PSU),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
(From 25.06.2012 to 27.08.2012)

प्रमुख कार्यपालक

PRINCIPAL EXECUTIVES

श्री राजीव कुमार
उप सचिव (ए.एण्ड वी.),
उर्वरक विभाग,
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(01.06.2012 से)

Shri Rajiva Kumar,
Dy. Secretary (A&V),
Deptt. of Fertilizers,
Ministry of Chemicals & Fertilizers,
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(w.e.f. 01.6.2012)

श्री बी. आर. मीना, आई.पी.एस.,
मुख्य सतर्कता अधिकारी (मैं. पी.डी.आई.एल.)
मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार
(17.6.2009 से 31.5.2012 तक)

Shri B. R. Meena, IPS,
Chief Vigilance Officer (M/s PDIL)
Additional Charge of Chief Vigilance Officer
(From 17.6.2009 to 31.5.2012)

श्रीमती सिओन कोंगारी
कार्यवाहक महाप्रबंधक

Smt. Sion Kongari
Actg. General Manager

श्री के. एल. राव
विशेष कार्य अधिकारी

Shri K.L. Rao
Officer on Special Duty

मुख्य कार्यपालक - एकक

CHIEF EXECUTIVES - UNITS

श्री ए. के. मिश्र
प्रभारी, महाप्रबंधक, पी डी आई एल,
एफ. सी. आई. एल. सिन्दरी के महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार

Shri A. K. Mishra
Incharge, General Manager, PDIL
Additional Charge of GM, FCIL, Sindri

श्री इरफान अहमद
कार्यवाहक महाप्रबंधक, तलचर

Shri Irfan Ahmed
Actg. General Manager, Talcher

श्री जगदीश प्रसाद
प्रभारी, गोरखपुर

Shri Jagdish Prasad
Incharge, Gorakhpur

श्रीमती एम. वी. सीता
प्रभारी, रामागुण्डम

Smt. M.V. Sita
Incharge, Ramagundam

श्री आर. एल. देशभ्रतार
प्रभारी, कोरबा

Shri R.L. Deshbhratar,
Incharge, Korba

एकक/प्रभाग/कार्यालय

सिन्दरी एकक	–	झारखण्ड
गोरखपुर एकक	–	उत्तर प्रदेश
रामागुण्डम एकक	–	आन्ध्रप्रदेश
तलचर एकक	–	ओडिसा
कोरबा प्रभाग	–	छत्तीसगढ़
केन्द्रीय कार्यालय	–	नोएडा (यू.पी.)

UNITS/DIVISION/OFFICE

Sindri Unit	–	Jharkhand
Gorakhpur Unit	–	Uttar Pradesh
Ramagundam Unit	–	Andhra Pradesh
Talcher Unit	–	Odisha
Korba Division	–	Chhatisgarh
Central Office	–	Noida (U.P.)

पंजीकृत कार्यालय

7, इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर-III
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

केन्द्रीय कार्यालय

पी.डी.आई.एल. भवन (पांचवी मंजिल),
ए-14, सेक्टर-I, नोएडा,
जिला-गौतम बुद्ध नगर,
उत्तर प्रदेश-201 301

लेखा परीक्षक

मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

कानूनी सलाहकार

मैसर्स फाक्स एण्ड मंडल, एडवोकेट्स, कोलकाता
मैसर्स अंजली के. वर्मा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स अरोड़ा एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नोएडा
मैसर्स दीवान एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली
मै. जी. जोशी एण्ड एसोसिएट्स, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स के. आर. चावला एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, नई दिल्ली
मैसर्स सक्सेना एण्ड कम्पनी, एडवोकेट्स, दिल्ली

REGISTERED OFFICE

7, Intitutional Area,
SCOPE Complex, Core III,
Lodhi Road, New Delhi-110003

CENTRAL OFFICE

PDIL Bhawan (5th Floor),
A-14, Sector-1, NOIDA
Distt. Gautan Budh Nagar,
Uttar Pradesh -201301

AUDITORS

M/s. Ghosh Khanna & Co.,
Chartered Accountants, New Delhi

BANKERS

State Bank of Patiala
State Bank of India
Union Bank of India
State Bank of Hyderabad

LEGAL ADVISERS

M/s. Fox & Mandal, Advocates, Kolkata

M/s. Ajnali K. Varma & Associates, Advocates, New Delhi

M/s. Arora & Associates, Advocates, NOIDA

M/s. Dewan & Co., Advocates, Delhi

M/s G. Joshi & Associates, Advocates, New Delhi

M/s K. R. Chawla & Co., Advocates, New Delhi

M/s. Saxena & Co, Advocates, Delhi

सूचना

यहाँ यह सूचित किया जाता है कि दि फर्टिलाइज़र कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के शेयरधारियो की 57वीं वार्षिक सामान्य बैठक बुधावार, 25 सितम्बर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे, कान्फ्रेंस रूम, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 में निम्नलिखित कार्य व्यापार के लिए आयोजित की जायेगी :-

1. ''31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निदेशकों की रिपोर्ट, तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखा को ग्रहण एवं अंगीकृत करना।''

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के साधारण संकल्प के रूप में पास करना :-

   ''भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. ए. जी.) द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए पारिश्रमिक निगम के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए जाने का संकल्प पारित करना''

बोर्ड के आदेश से
ह०/-
(सुशील पाल)
निदेशक (वित्त)

दिनांक : 03.09.2013

टिप्पणी : प्रत्येक सदस्य बैठक में उपस्थित होकर अपना मत दे सकता है तथा अपने किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का शेयरधारी होना आवश्यक नहीं है।

सेवार्थ,
सभी शेयरधारी

प्रतिलिपि :-

1. मैसर्स घोष खन्ना एण्ड कम्पनी,
   सनदी लेखाकार, एल-2ए,
   हौज खास एन्कलेव, नई दिल्ली-110016
2. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

NOTICE

Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting of the Shareholders of The Fertilizer Corporation of India Limited will be held on Wednesday, 25th September, 2013 at 4.00 P.M. at the Conference Room, Department of Fertilizers, Shashtri Bhawan, New Delhi - 110 001 to transact the following business :-

1. "To receive and adopt the Directors' Report to the Shareholders, the Balance Sheet and Profit and Loss Account along with the Auditors' Report for the year ended 31st March, 2013".

2. To consider, if thought fit, to pass, with or without modification, the following resolution as an ordinary resolution :-

   "Resolved that the remuneration would be payable to the Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India (CAG) for the financial year 2013-2014 be fixed by the Board of Directors of the Corporation."

By Order of the Board

Sd/-
(Sushil Pal)
Director (Finance)

Dated : 03.09.2013

Note : A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint proxy to attend and vote instead of himself. A Proxy need not be a Shareholder of the Company.

To:
All Shareholders.

Copy to:-

1. M/s. Ghosh Khanna & Co.,
   Chartered Accountants, L-2A,
   Hauz Khas Enclave, New Delhi - 110016
2. Chairman, Audit Committee.

निदेशकों की रिपोर्ट

1.0 आपके निदेशक 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लेखा परीक्षित लेखों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित निगम की 57वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

2.0 वित्तीय परिणाम

निगम को वर्ष के 2011-12 के 552.76 करोड़ रुपये की बही हानि की तुलना में वर्ष 2012-2013 में 10778.08 करोड़ रुपये का बही लाभ हुआ है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय जिसमें मुख्यत: भारत सरकार के ऋण एवं ब्याज को माफ करना, भारतीय जीवन बीमा निगम के गांरटी फीस को माफ करना और भागीदार सरकारी उपक्रमों से प्रतिबद्धता फीस प्राप्त होने के कारण यह लाभ हुआ है।

3.0 वित्तीय स्त्रोत

3.1 शेयर पूंजी

एफ सी आई एल की अभिदत्त एवं प्रदत पूंजी 750.92 करोड़ रुपये है।

3.2 भारत सरकार के ऋण एवं भारत सरकार के ऋण पर ब्याज

सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति के अनुसार, भारत सरकार के 2739.37 करोड रूपये के ऋण और भारत सरकार के ऋण पर ब्याज के 7904.47 करोड रूपये को माफ कर दिया गया है।

DIRECTORS' REPORT

1.0 Your Directors hereby present their 57th Annual Report of the Company together with the audited accounts and the auditors' report for the year ended 31st March, 2013.

2.0 FINANCIAL RESULTS

The Company incurred a book profit of Rs. 10778.08 Crore in 2012-2013 as against a book loss of Rs. 552.76 crore during 2011-2012. The profit has been arrived at after taking into account the decision dated 9.5.2013 of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) which mainly comprises of waiver of GoI loan and interest, waiver of LIC Guarantee Fee and receipt of commitment fee from the participating PSUs.

3.0 FINANCIAL RESOURCES

3.1 SHARE CAPITAL

The subscribed capital and paid up capital remains Rs. 750.92 crore.

3.2 GOI LOAN AND INTEREST ON GOI LOAN

As per the approval of CCEA, Government of India loan amounting to Rs. 2739.37 Crore and interest on GOI loan amounting to Rs. 7904.47 Crore have been written-off.

वर्ष के अंत में ऋण एवं ब्याज की देय स्थिति इस प्रकार थी :

(रुपये करोड़ में)

	2012-13	2011-12
भारत सरकार से		
योजना ऋण	शून्य	385.78
गैर-योजना ऋण	शून्य	2353.50
पुराना खड़ा ब्याज	शून्य	7904.47
योग (क)	शून्य	10643.75
सार्वजनिक उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओं से		
ऋण	1.50	5.00
पुराना खड़ा ब्याज* (31.3.2000 तक)	शून्य	7.63
योग (ख)	1.50	12.63
कुल योग (क + ख)	1.50	10656.38

*भारी वित्तीय संकट के कारण ऋणों पर ब्याज का और प्रावधान नहीं किया गया है।

The loan and interest payable position up to the year-end was as follows:

(Rs./Crore)

	2012-13	2011-12
From Government of India		
Plan loan	Nil	385.78
Non-plan loan	Nil	2353.50
Overdue interest	Nil	7904.47
Total (a)	Nil	10643.75
From Public Sector Undertakings/Financial Institutions		
Loan	1.50	5.00
Overdue interest* (Upto 31. 3. 2000)	Nil	7.63
Total (b)	1.50	12.63
Grand Total (a+b)	1.50	10656.38

*In view of the severe financial constraints no further interest is provided on loans.

4.0 राष्ट्रीय राजकोष में योगदान

निगम ने वर्ष के दौरान सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमाशुल्क, विद्युत शुल्क के रूप में केन्द्रीय एवं राज्य राजकोषों को 1.03 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

4.0 CONTRIBUTION TO NATIONAL EXCHEQUER

The Company made a contribution of Rs. 1.03 crore by way of service tax, sales tax, excise duty, income tax, customs duty, electricity duty to the central and state exchequers during the year.

5.0 उत्पादन निष्पादन

एककों को वर्ष 2002 में बंद करने के संबंध में भारत सरकार के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान किसी भी संयंत्र में यूरिया का उत्पादन नहीं हुआ।

5.0 PRODUCTION PERFORMANCE

There was no production of urea at any of the plants during the year, due to the decision of the GOI for closure of the plants in the year 2002.

6.0 एककों की स्थिति

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2002-03 में सभी एककों को बन्द करने के आदेश के कारण किसी भी एकक में उत्पादन नहीं हो रहा है तथा कार्यकलाप सुरक्षा व्यवस्था तथा कर्मचारियों की देयताओं के निपटान तक सीमित है।

7.0 विपणन प्रचालन

निगम की सभी इकाइयों को बन्द करने के निर्णय तथा वर्ष के दौरान कोई भी उत्पादन न होने के कारण हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना, रांची के विपणन कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है और उन कार्यालयों की परिसम्पत्ति का निपटान कर दिया गया है अथवा अन्य कार्यालयों/एककों को भेज दिया गया है। वहाँ कोई विपणन गतिविधि नहीं है।

8.0 बी. आई. एफ. आर. संदर्भ

8.1 22.11.2012 : बी.आई.एफ.आर. बैंच ने 22.11.2012 को हुई सुनवाई में संयुक्त सचिव/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एफ.सी.आई.एल. को सलाह दी कि कम्पनी के निवल सम्पत्ति को धनात्मक बनाने की सम्भावना का पता लगायें और बैंच को अगली बैठक में बतायें ।

8.2 19.12.2012 : बी.आई.एफ.आर. ने इस सुनवाई में निदेश दिया कि जैसा कि सुनवाई के दौरान कहा गया था, असुरक्षित लेनदारों के देयता को माफ करने के संबंध में स्वीकृति के लिये कैबिनेट नोट के लिये शीघ्र प्रयास करें तथा विचार विमर्श के अनुसार आन्तरिक निगमित ऋण की स्वीकृति के लिये प्रयास करें जिससे कम्पनी के निवल सम्पत्ति को बढ़ानें की सम्भावना का पता लगाया जा सके।

6.0 PLANT STATUS

Pursuant to the Govt's orders for closure of all units in 2002-03 (FY), there is no production in any of the units and activity is restricted to security arrangement and settlement of dues of employees.

7.0 MARKETING OPERATIONS

In view of decision for closure of all the fertilizer units of the Company and there being no production, marketing offices at Hyderabad, Bhubaneswar, Kolkata, Patna, Ranchi were closed and assets of these offices were disposed/ sent to other offices/ units. There is no marketing activity.

8.0 B.I.F.R. REFERENCE

8.1 22.11.2012 : In the hearing held on 22.11.2012, the BIFR bench advised Joint Secretary/C&MD, FCIL to explore the possibility of Company's net worth becoming positive and to inform the bench at the next meeting.

8.2 19.12.2012 : BIFR in this hearing directed Company to expedite cabinet note for approval of waiver of dues of unsecured creditors in terms of submisission made during hearing and also for grant of inter-corporate loan as discussed for exploring the possibilities of turning the net worth of the Company into positive.

8.3 20.2.2013 : अ. एवं प्र. नि. ने बी.आई.एफ.आर. को बताया कि सी.सी.ई.ए. के लिये कैबिनेट नोट उर्वरक विभाग में तैयार किया जा रहा है और आशा है कि एक महीने के अंदर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। यदि कथित प्रस्ताव को सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति मिल जाती है और तदनुसार व्यवस्था हो जाती है तब कम्पनी की निवल सम्पत्ति धनात्मक हो जायेगी।

8.4 23.5.2013: इस सुनवाई में बताया गया कि सी.सी.ई.ए. ने 9.5.2013 को नोट को स्वीकृति दे दी है जिसकी प्रति जल्दी ही प्राप्त हो जायेगी । बैंच ने निदेशित किया है कि :-

(i) बकाया असुरक्षित लेनदारों का निपटान किया जाये। ओ.ए. इस संबंध में सहायता/सहयोग करेगी।

(ii) आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए लेखों को अंतिम रूप देना और ओ.ए. को प्रमाणित लेखा उपलब्ध कराना तथा धनात्मक निवल सम्पत्ति के आधार पर बी.आई.एफ.आर. से बाहर होने के लिये आवेदन करना। अब यह मामला 24.6.2013 और 27.6.2013 के लिये स्थगित किया गया है।

8.5 27.6.2013: बी.आई.एफ.आर. ने अपनी 27.6.2013 की सुनवाई में नोट किया कि 31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिये एम.ए. के साथ संलग्न सी.ए. के प्रमाणपत्र के अनुसार लेखा परीक्षित तुलन पत्र में कम्पनी की निवल सम्पत्ति को 5.09 करोड़ रूपये धनात्मक दिखाया गया है। ओ.ए. (एस.बी.आई.) ने इसकी पुष्टि कर दी है और कम्पनी को एस.आई.सी.ए. के क्षेत्राधिकार से बाहर निकालने का अनुमोदन किया है। अत: बी.आई.एफ.आर.ने कम्पनी को एस.आई.सी.ए./बी.आई.एफ.आर. के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया है। इस प्रकार बैंच ने निम्नालिखित निदेश जारी किये हैं:-

8.3 20.02.2013 : C&MD sumbmitted in BIFR that cabinet note for CCEA is under process in the Department of Fertilizer and hopefully the approval will be obtained within a month's time. If the said proposal is received with CCEA's approval and settlement is done accordingly, the net worth of the Company would turn to positive.

8.4 23.05.2013 : In this hearing it was submitted that CCEA has approved the note on 09.05.2013 , copy of which will be available shortly. The bench directed that :-

i) Try to settle remaining unsecured creditors. OA will help/associate in this matter.

ii) Finalize the accounts keeping in view the figures after CCEA's approval/emerging position and provide certified accounts to OA and apply for De-registration of the Company from BIFR on the basis of net worth being positive. Now the matters adjuourned to 24.06.2013 and 27.06.2013.

8.5 27.06.2013 : Hon'le BIFR in its hearing on 27.06.2013 noted that as per CA's certificate enclosed with the MA stating the net-worth of the company positive by Rs. 5.09 crore as per audited balance sheet for year ending 31.03.2013. OA (SBI) has confirmed this and recommended for deregistration of the company from the purview of SICA. Hence, BIFR deregistered the company from the purview of SICA/BIFR. Accrdingly, the bench issued the following directions :-

(i) जैसा कि एस.आई.सी.ए. की धारा 3(1) (0) में बताया गया है, कम्पनी, दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (प्रकरण सं. 515/1992) बीमार औद्योगिक कम्पनी नहीं रही क्योंकि इसकी निवल सम्पत्ति धनात्मक हो गई है। इस लिये इसे एस. आई.सी.ए./बी.आई.एफ.आर. के क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाता है।

(ii) कम्पनी द्वारा दाखिल विविध आवेदन संख्या : 323/2013 के प्रार्थना संख्या 1 को स्वीकृति दी जाती है और विविध आवेदन में की गई शेष प्रार्थनाओं को अस्वीकृत किया जाता है क्योंकि कम्पनी ने भी यह माना है कि वे इसके लिये दबाव नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार कम्पनी द्वारा दाखिल विविध आवेदन संख्या 323/2013 का निपटारा किया जाता है।

(iii) कम्पनी के एस.आई.सी.ए. के क्षेत्राधिकार से बाहर आ जाने के कारण विभिन्न पार्टियों द्वारा दाखिल विविध आवेदनों का कोई औचित्य नहीं है।

(iv) बोर्ड, भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को बोर्ड के प्रचालन एजेन्सी (ओ.ए.) की जिम्मेदारी से मुक्त करता है।

(v) सभी सुरक्षित लेनदार, सांविधिक प्राधिकरण, कानून के अनुसार अपने बकाया को प्राप्त करने के लिये, यदि कोई हो तो, स्वतंत्र हैं।

(vi) बोर्ड द्वारा कम्पनी के निदेशक मंडल में नियुक्त विशेष निदेशक, यदि कोई हो तो, को तुरन्त प्रभाव से मुक्त किया जाता है। कम्पनी संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) के यहाँ आवश्यकता अनुसार आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करेगी।

i) The Company, M/s Fertilizer Corporation of India (Case No. 515/1992) ceases to be a sick industrial company, within the meaning of Section 3(1)(o) of the SICA as its net worth has turned positive. It is, therefore, de-registered from the purview of SICA/BIFR.

ii) Prayer No. 1 of Misc. Application No. 323/2013 filed by the company is allowed and the rest of the prayers made in the Misc. Application are rejected, as the company has also agreed that they are not pressing for it. Accordingly, MA no. 323/2013 filed by the comapny stand disposed of.

iii) In the event of company de-registered from the purview of SICA, all pending Misc. Applications filed by various parties become infructuous.

iv) The Board discharges State Bank of India (SBI) from the responsibility of Operating Agency (OA) to the Board.

v) All Secured Creditors, Statutory Authorities are at liberty to recover their dues, if any, according to law.

vi) The Special Director, if any, appointed by the Board on company's Board of Directors' (BOD), would stand discharged with immediate effect. The company would complete necessary formalities with the concerned Registrar of Companies' (ROC) as may be required.

9.0 सतर्कता विभाग - वर्ष 2012-2013 में इसकी गतिविधियॉं तथा उपलब्धियॉं

सतर्कता विभाग को प्रबंधन के कार्यकलाप का अभिन्न भाग माना जाता है । श्री राजीवा कुमार, उप सचिव, उर्वरक विभाग एफ.सी.आई.एल. के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। वे कम्पनी में उपलब्ध सीमित कर्मचारियों के माध्यम से सतर्कता के मामले में निदेशन, सुझाव एवं पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं। विभाग सामान्य प्रशासन में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता को बनाये रखने में सहयोग प्रदान करता है तथा एफ.सी.आई.एल. में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये विभिन्न रोकथाम के उपाय करता है तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाने को कार्य करता है।

10.0 कार्यालय की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों एवं अन्य सभी निदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रम का निगम में पूरी तरह से पालन किया जाता है। लेकिन कंपनी के बंद हो जाने के कारण ये गतिविधियां सीमित हो गई हैं।

11.0 औद्योगिक संबंध, मानव संसाधन, कल्याण, सुरक्षा तथा भागग्रही प्रबंधन आदि

11.1 31.3.2013 को कर्मचारियों की संख्या 22 है। ये कर्मचारी निगम की सम्पत्ति की सुरक्षा और रखवाली और सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए रखे गये हैं। सभी इकाइयों के बंद हो जाने के कारण

9.0 VIGILANCE DEPARTMENT - ITS ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS FOR THE YEAR 2012-2013.

The Vigilance Department is considered to be an integral part of the management function. Shri Rajiva Kumar, Dy. Secretary, Department of Fertilizers is holding the additional charge of Chief Vigilance Officer of FCIL. He provides direction, guidance and supervision over the vigilance efforts of the company with minimal staff available on the rolls of the company. The department assists in maintaining the transparency and integrity in general administration and increasing the efficiency in FCIL through various preventive measures and by observing vigilance awareness week.

10.0 USE OF HINDI AS OFFICIAL LANGUAGE

The Company complies with annual programme and instructions and all other directives issued by the Government regarding progressive use of Hindi. However, due to closure of the company, these activities are kept limited.

11.0 INDUSTRIAL RELATIONS, HUMAN RESOURCE, WELFARE, SAFETY, PARTICIPATIVE MANAGEMENT, ETC.

11.1 The staff strength as on 31.3.2013 is 22. The employees are retained on the rolls to look after the safety and security of the properties of the Company and to discharge

जोखिम एवं ज्वलनशील वस्तुओं का निपटान करने के लिये सुरक्षा नियम एवं प्रक्रियाओं का पालन सीमित स्तर तक हुआ है।

statutory obligations of the Company. Due to the closure of all Units, safety rules and procedures were followed to a limited applicable extent while dealing with hazardous and inflammable materials.

12.0 अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों का नियोजन

अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पदों के आरक्षण से संबंधित सरकार के निदेशों को ध्यान में रखा जाता है। वर्ष के दौरान कोई भर्ती नहीं की गयी है।

12.0 EMPLOYMENT OF SCs/STs, EX-SERVICEMEN AND PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS

Government's directives with regard to reservation of posts for SCs/STs / Ex-servicemen, including physically handicapped, were kept in view. However, no recruitment has been made during the year.

13.0 ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम

भारत सरकार के कम्पनी के प्रचालन को बंद करने के निर्णय के कारण वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी अधिग्रहण संबंधी उपाय करने का कोई अभिप्राय नहीं था। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य रहा है।

13.0 ENERGY CONSERVATION, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUT GO

In view of Government's decision for closure of operation of the Company there was no scope to take up any measures for energy conservation, technology absorption during the year. Foreign Exchange earning was nil during the year.

14.0 सांविधिक लेखा परीक्षक

आपकी कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। वित्त वर्ष 2012-13 के लिये मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी को संविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

14.0 STATUTORY AUDITORS

The statutory auditors of your company are appointed by the Comptroller and Auditor General of India. M/s. Ghosh Khanna & Company were appointed as Statutory Auditors for the financial year 2012-13.

15.0 सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों ने दिनांक 19.06.2013 की रिपोर्ट दे दी है। निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-I (संलग्न)।

16.0 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने दिनांक 28.08.2013 के पत्र के माध्यम से टिप्पणियां की हैं। सी. ए. जी. कार्यालय के सुझाव के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिये सी. ए. जी. की टिप्पणियाँ, दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर निदेशक मंडल के स्पष्टीकरण के साथ प्रस्तुत किया गया है (निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-II)।

17.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणिका

17.1 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2कक) के अनुसार निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण के संबंध में यहाँ यह पुष्टि की जाती है कि-

15.0 MANAGEMENT REPLY ON STATUTORY AUDITORS REPORT

The Statutory Auditors of the company have given a report dated 19.06.2013 on the accounts of the company for the financial year 2012-13. Addendum to Director's Report-I (Enclosed).

16.0 REVIEW OF ACCOUNTS BY COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

The Comptroller and Auditor General of India, through their letter dated 28.8.2013 has given comments on the financial statements of your company for the year ending 31st March, 2013 under Sec. 619(4) of the Companies Act, 1956. As advised by the office of CAG of India, the comments of CAG for the year 2012-13 are being placed along with remarks of the Board of Directors on the comments of Comptroller & Auditor General of India on the accounts of the Fertilizer Corporation of India Ltd. for the year ending 31st March, 2013 (Addendum to Directors Report-II).

17.0 DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

17.1 Pursuant to the requirement under section 217(2AA) of the Companies Act 1956, with respect to Directors' Responsibility Statement, it is hereby confirmed:

31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को बनाने में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है तथा किसी बड़ी विभिन्नता की स्थिति में उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।

निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं जो कि युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यकलापों का विचाराधीन वर्ष के लिये कंपनी के लाभ-हानि लेखे का सही एवं औचित्यपूर्ण विवरण देते हैं।

कम्पनी की परिसम्पत्ति के सुरक्षा के लिए और छल एवं अनियमितताओं के पकड़ने एवं रोकधाम के लिए निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार लेखों के पर्याप्त रिकार्ड को रखनें में उचित एवं पूरी सावधानी बरती है। वित्त वर्ष 2012-13 के लेखों को ''चालू उद्यम'' के आधार पर बनाया गया है।

That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March 2013, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures.

That the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the company for the year under review.

That the Directors have taken proper and sufficient care for the maintanance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, for safeguarding the assets of the Comapny and for preventing and detecting fraud and other irregularities. The accounts for the finanancial year 2012-13 have been prepared on "going concern" basis.

18.0 निदेशक मंडल

	से	तक
1. श्री सतीश चन्द्रा, अ.प्र.नि.	12.7.2012	अब तक
2. श्री शाम लाल गोयल, अ.प्र.नि.	31.3.2011	12.7.2012
3. श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, निदेशक (वित्त)	30.10.2008	18.7.2013
4. श्रीमती ललिता दास, निदेशक	22.12.2010	25.6.2012
5. श्री एस. आनंदन, निदेशक	8.8.2011	अब तक

18.0 BOARD OF DIRECTORS

	From	To
1. Shri Satish Chandra, C&MD	12.7.2012	Till date
2. Shri Sham Lal Goyal, C & MD	31.3.2011	12.07.2012
3. Mrs. T.C.A. Kalyaani, Director (Finance)	30.10.2008	18.07.2013
4. Mrs. Lalitha Das, Director	22.12.2010	25.6.2012
5. Shri S. Anandan, Director	08.08.2011	Till date

		से	तक
6.	डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक, बी.आई.एफ.आर.	4.2.2011	27.06.2013
7.	श्री धीरेन्द्र रस्तोगी, विशेष निदेशक, बी.आई.एफ.आर.	6.6.2012	14.10.2012
8.	श्री नीरज सिंघल, निदेशक	25.6.2012	27.8.2012
9.	श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक	27.8.2012	अब तक

18.1 वित्तीय वर्ष 2012-13 में निदेशक मंडल की 5 तथा लेखा परीक्षा समिति की 2 बैठकें हुई। निदेशकों ने कितनी बैठकों में भाग लिया इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

नाम	निदेशक मंडल की बैठकें	लेखा परीक्षा समिति की बैठकें
1. श्री सतीश चन्द्रा	4	-
2. श्री शाम लाल गोयल	1	-
3. श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी	5	2
4. श्री एस. आनंदन	4	2
5. डॉ. प्रदीप कुमार	4	1
6. श्री धीरेन्द्र रस्तोगी	3	2
7. श्री नीरज सिंघल	1	-
8. श्री विजय रंजन सिंह	3	-

19.0 लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम, 1956 में संशोधन के फलस्वरूप अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु एक नयी धारा 292 क "लेखा परीक्षा समिति" जोड़ दी गयी है। यद्यपि एफ.सी.आई.एल. के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण यह प्रावधान इस पर लागू नहीं होता तथापि अधिक अच्छे निगमित नियंत्रण हेतु निदेशक मंडल ने 19.06.2013 को लेखा परीक्षा

		From	To
6.	Dr. Pradeep Kumar, Special Director, BIFR	04.02.2011	27.06.2013
7.	Shri Dhirendra Rastogi, Special Director, BIFR	06.06.2012	14.10.2012
8.	Shri Neeraj Singhal, Director	25.06.2012	27.08.2012
9.	Shri Vijay Ranjan Singh, Director	27.08.2012	Till date

18.1 There were 5 meetings of Board of Directors and 2 meetings of Audit Committee during the financial year 2012-13. The details of meetings that Directors attended are given below :

Name	Board Meetings	Audit Committee Meetings
1. Shri Satish Chandra	4	_
2. Shri Sham Lal Goyal	1	–
3. Mrs. T.C.A. Kalyaani	5	2
4. Shri S. Anandan	4	2
5. Dr. Pradeep Kumar	4	1
6. Shri Dhirendra Rastogi	3	2
7. Shri Neeraj Singhal	1	_
8. Shri Vijay Ranjan Singh	3	_

19.0 AUDIT COMMITTEE

In the amended Companies Act 1956, a new section 292A i.e. "Audit Committee" has been inserted, as a measure for better corporate governance. Though the said provision is not applicable in case of FCIL being Private Limited Company, for better corporate governance, Audit Committee

समिति का पुनर्गठन किया है जिसके निम्नलिखित निदेशक सदस्य है :

1. श्री एस. आनंदन, निदेशक – अध्यक्ष
2. श्रीमती टी.सी.ए. कल्याणी, निदेशक (वित्त) – सदस्य
3. डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक, बी.आई.एफ.आर. – सदस्य
4. श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक – सदस्य

20.0 आभार प्रदर्शन

निदेशक, वर्ष के दौरान कर्मचारियों की सेवाओं के लिये उनकी सराहना करते हैं। निदेशक विभिन्न मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों तथा राज्य सरकारों तथा विशेष रूप से उर्वरक विभाग के सचिव तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को उनके निदेशन, सहयोग तथा सहायता के लिये सादर आभारी हैं।

निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा निगम के कर्मचारियों विशेषकर श्री के.एल. राव, विशेष कार्य अधिकारी, श्री ए.के. घोष, परामर्शदाता (तकनीकी), श्री एस. बन्दोपाध्याय, परामर्शदाता (वित्त) को उनके बहुमूल्य समर्थन एवं सहयोग के लिये धन्यवाद देते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह०/–
(टी.सी.ए. कल्याणी)
निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30.06.2013

has been reconstituted by the Board on 19.06.2013 comprising of the following Directors :

1. Shri S. Anandan, Director – Chairman
2. Mrs. T. C. A. Kalyaani, Director (Finance) – Member
3. Dr. Pradeep Kumar, Special Director, BIFR – Member
4. Shri Vijay Ranjan Singh, Director – Member

20.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Directors place on record their appreciation for the services of the employees during the year. The Directors gratefully acknowledge the support received from the various Ministries and Departments of the Government of India and State Governments and in particular the Secretary, Department of Fertilizers and other officers of the Department for their guidance, cooperation and support.

The Directors also place on record their sincere thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors and to the employees specially to Shri K.L. Rao, OSD, Shri A.K. Ghosh, Const. (Tech) and Shri S. Bandopadhyay, Const. (Fin) for their valued cooperation and support.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
(T.C.A. Kalyaani)
Director (Finance)

Place : New Delhi
Dated : 30.06.2013

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - I
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT - I

सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ (सांविधिक लेखा परीक्षकों की दिनांक 19.6.2013 की रिपोर्ट के संदर्भ में) तथा कम्पनी के स्पष्टीकरण

Comments of Statutory Auditors (Reference Statutory Auditors' Report Dated 19.6.2013) and Explanations of the Company.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट	
1. हमनें दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न निगम के लाभ एवं हानि विवरणिका तथा नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
Report on the Financial Statements	
1. We have audited the attached Balance Sheet of The Fertilizer Corporation of India Limited as at 31st March, 2013 and the related Profit and Loss Statement and Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.	Reporting requirements of the Auditors report and therefore, no replies are called for.
वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व	
2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर हमारे सत्य और निष्पच्छ मत को दर्शाता हो और जो कम्पनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 के उपधारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानक के अनुरूप हों। इस उत्तरदायित्व में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और	यह लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की जरूरत के अनुसार है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
अनुरक्षण भी शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करे और जो किसी गलतबयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों ।	
Management's Responsibility for the Financial Statements	
2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.	Reporting requirements of the Auditors report and therefore, no replies are called for.
लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व	
3. हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
Auditors' Responsibility	
3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of	Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां **A.Q.No. Comments on**	प्रबंधन के स्पष्टीकरण **Reply of the Management**
Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.	
4. लेखा परीक्षा प्रक्रिया में राशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों के बारे में प्रकटन प्राप्त करना होता है । जिन प्रक्रियाओ का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में किसी बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी उचित प्रस्तुति के लिये कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन को निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित होता है। लेखापरीक्षा कार्य में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है और साथ ही इसमें वित्तीय विवरणों की विस्तृत प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management,	Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.	
5. हमारे मत में और हमें दी गयी उचित जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण अधिनियम में यथा अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्राय: अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
5. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:	Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therefore no replies are called for.
(क) 31 मार्च, 2013 को वस्तुस्थिति को दर्शाने वाला तुलन-पत्र कम्पनी के कार्यकलापों का।	
(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2013 and	
(ख) लाभ-हानि के विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त हुए 12 महीनों के लिए लाभ के संबंध में ।	
(b) In the case of the Profit and Loss Statement, of the Profit for the period of twelve months ended on that date.	
(ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के नकदी प्रवाह का।	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management

(c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

6. जैसे कि भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 227 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट)(संशोधन) आदेश, 2004 ("आदेश 2004") के अंतर्गत अपेक्षित है और इस प्रकार से कम्पनी के लेखों और रिकार्ड के जॉच के आधार पर जैसा कि हमें उचित लगा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि–

यह सी.ए.आर.ओ. के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के जरूरत के अनुसार है।

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

6. As required by Companies (Auditors' Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditors' Report) (Amendment) Order, 2004 (together 'the order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section(4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we further report that:-

Reporting requirements under CARO.

i.क. स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो और लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां **A.Q.No. Comments on**	प्रबंधन के स्पष्टीकरण **Reply of the Management**
i.a. The physical verification of fixed assets including assets retired from active use held for disposal has not been carried out. We are unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts.	
i.ख. निगम ने निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है । केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहॉं कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं किया है।	बी.आई.एफ.आर. के दिशा निर्देशों पर कंपनी पुजरूज्जीवन पर कार्य कर रही है । जैसे ही पुजरूज्जीवन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी, स्वीकृति और अंगीकृत कर ली जायेगी, परिसम्पत्तियों के सत्यापन के पश्चात उनका वास्तविक वसूली मूल्य को लेखों में ले लिया जायेगा । भारत सरकार द्वारा कम्पनी को बंद करने के आदेश के पश्चात स्थायी परिसम्पत्तियों को बढ़ाने/घटाने के संबंध में तथा उनको रखने के स्थान एवं मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
i.b. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/divisions where for some items particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct locations are not stated. Further, in some Units/Divisions fixed assets records are not updated.	Under the guidance of BIFR Company is working for the revival. As soon as revival process is finalized, approvad and adopted after verification of assets the actual value of realization on revival would be taken into the books. After the closure order of the Company received from GOI there was no movement of fixed assets for any addition/deletion even the location and quantity have not been changed.
ii.क. वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है ।	वस्तुसूचियों का सत्यापन न होने का कारण पैरा i. (ख) में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है ।
ii.a. The physical verification of inventory was not conducted during the year.	The reason for non-verification of inventory already explained in Para i (b).
ii.ख. निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है । वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, यदि कोई	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
	हो तो, और लेखों पर उनके प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	
ii.b.	The Corporation is maintaining proper records of inveniory. In the absence of any physical verification for the inventory, we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in accounts.	
iii.	संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी को न तो सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत किया है और न ही लिया है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
iii.	The Corporation has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.
iv.	संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
iv.	The Corporation has not taken any loans, secured or unsecured, from any company, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.
v.	भारत सरकार के बंद करने के आदेश के कारण चालू कंपनी की परिकल्पना को प्रभावित किया है । फिर भी निगम ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल भाग का निपटान नहीं किया है यद्यपि स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिकांश हिस्से सक्रिय प्रयोग के योग्य नहीं है और निपटान के लिये रखे हुये हैं।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
v.	In view of the closure order issued by the Govt. of India the going concern assumption has been affected. However, the Corporation has not disposed off substantial part of the fixed assets during the year though major part of the fixed assets has been retired from active use and are held for disposal.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.
vi.	भारत सरकार द्वारा निगम को बंद करने का आदेश जारी करने के कारण और फिर निगम में सीमित कर्मचारी ही बचने के कारण वस्तुसूचियों व स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यह बताना चाहते हैं कि वर्ष के दौरान वस्तुसूचियों अथवा स्थायी परिसम्पत्तियों का कोई क्रय-बिक्रय या उपयोग नहीं हुआ है ।
vi.	In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation, we are unable to comment on the internal control system for the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services.	Remarks of the Auditors in their report is self explanatory and therfore no comments are called for. However, it may be informed that there was no purchase or sale or use of inventory or fixed assets during the year.
vii.	अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत, लेन-देन, जिसकी रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है, उसकी प्रविष्टि कर दी गयी है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
vii.	The transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act, has been so entered.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.
viii.	निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
viii.	The Corporation has not accepted any deposits from the public.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां **A.Q.No. Comments on**	प्रबंधन के स्पष्टीकरण **Reply of the Management**
ix. निगम में अपने कर्मचारियों में से ही एक एकक से दूसरे एकक में भेज कर आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली है । आंतरिक लेखा परीक्षा केवल एककों में वर्ष के कुछ अंश में किया गया है । हमें बताया गया है कि अत्यल्प स्टाफ तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को विधिवत नहीं बनाये रखा जा सका है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
ix. The Corporation is having a internal audit system by its own staff rotating from one unit to other unit. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff and closure orders for the Corporation, the internal audit department could not be maintained properly.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.
x. निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर आदि को जमा करने में सामान्यत: नियमित रही है । हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2013 को सिंदरी में 164.54 लाख रूपये तथा रामागुण्डम में 57.30 लाख रूपये उत्पाद शुल्क के तथा सिंदरी में 7.19 लाख रूपये, गोरखपुर में 2.29 लाख रूपये, रामागुण्डम में 1.72 लाख रूपये, तलचर में 0.58 लाख रूपये सेवा कर के देय हैं । इन्हे छोड़कर देयता की कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयता के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छ: महीने से अधिक समय तक बकाया नहीं रहे हैं ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वंय ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
x. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Sales Tax, Service Tax etc. according to information and explanations given to us, no undisputed amount	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.

payable in respect of Income Tax, Wealth Tax, Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2013 for a period of more than six months from the date they become payable except central excise duty Rs.164.54 Lakh at Sindri Unit, Rs. 57.30 Lakh at Ramagundam Unit and Service Tax Rs. 7.19 Lakh at Sindri Unit, Rs. 2.24 Lakh at Gorakhpur Unit, Rs. 1.72 Lakh at Ramagundam Unit Rs. 0.58 Lakh at Talchar Unit.

xi. विवादास्पद राशि के संबंध में जो बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं उपकर के रूप में जमा नहीं कराई, माँगी गई जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में उपलब्ध है जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधरित है ।

सभी विवादित माँगें विभिन्न सांविधिक निकायों अर्थात कमिश्नर-बिक्रीकर, उत्पादशुल्क, सी.ई.एस.ए.टी, कोलकाता के पास अपील में हैं।

xi. In respect of disputed amounts not deposited on account of Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty and Cess the required information is provided by way of an annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.

All disputed demands are under appeal with different statutory bodies i.e. Commissioner - Sales Tax, Excise Duty, CESAT, Kolkata.

xii. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों को रखना आवश्यक किया हुआ है । हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखनें से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
	उत्पादन गतिविधियां बंद कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया गया है और न ही अनुरक्षित किया गया है ।	
xii.	Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956. We are informed that the Corporation have moved an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the order of the Corporation. However, no such permission has yet been received. Since the production activities have been closed no cost records have been made and maintained.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are required.
xiii.	निगम को इस वर्ष तथा पिछले वित्त वर्ष में हानि हुई है। इस वर्ष निवल सम्पत्ति धनात्मक हो गई है तथा सी.सी.ई.ए. द्वारा 10740.36 करोड़ रूपये को माफ करने के साथ ही पुनरूज्जीवन का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
xiii.	The Corporation has incurred cash losses during the year and in the immediate preceding financial year. During the year the net worth has become positive and the revival process has started with the CCEA giving waiver amounting to Rs. 10740.36 Crores	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are required.
xiv.	हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
xiv.	According to information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are required.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां **A.Q.No. Comments on**	प्रबंधन के स्पष्टीकरण **Reply of the Management**
xv. निगम चिटफंड कम्पनी नहीं है।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अत: इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
xv. The Corporation is not a chit fund company.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are called for.
7. अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार हम रिपोर्ट करना चाहते हैं कि-	लेखा परीक्षकों द्वारा 7 (क) से 7 (घ) तक किया गया प्रकटन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (3) के अनुसार है ।
7. As required by section 227(3) of the Act, we report that:	7 (a) to (d) are the disclosures given by the Auditors as required by the Section 227 (3) of the Companies Act,1956.
क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है ।	
a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.	
ख. हमारी राय में, जैसा कि हमें उन बहियों के जाँच के दौरान दिखता है, निगम ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है ।	
b. In our opinion proper books of account *as* required by law have been kept by the Corporation so far as appears from our examination of those books.	
ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं ।	
c. The Balance Sheet, Profit & Loss Statement and Cash Flow Statement dealt with by this	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on	प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
report are in agreement with the books of account.	
घ. हमारी राय में ये लेखा 'चालू उद्यम नहीं' के आधार पर बनाये गये हैं जो कि कम्पनी अधिनियम के धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक के अनुसार है, केवल इन्हे छोड़ कर-	
d. In our opinion, these accounts have been drawn up "not on going concern basis" in compliance with the applicable accounting standards referred to in sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act; except-	
i. लेखा मानक-2 'वस्तुसूचियों का मूल्यांकन' ए एस-2 के अनुसार नहीं किया गया है । कच्चा माल और स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25 प्रतिशत की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100 प्रतिशत का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
उपर्युक्त ट्रीटमेंट का कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।	
चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है ।	

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
i.	Accounting Standard '2' Valuation of inventories to the extent that the inventory have not been valued in accordance with the AS-2. The Inventory of raw material, stores & spares have been valued at approximately 25% of the cost and 100% provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has been taken for finished goods, packing materials, chemicals, catalyst, consumable stores, lubricants, medical stores. The conseqential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained. Loss if any, on absolesecence/shortage of inventories during the year. As per information provided, inventory godowns at the units remained sealed throughtout the year and neither their physical status verified nor their realizable value is ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/ physical availability.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are required.
ii.	लेखा मानक-15 "कर्मचारी हित लाभ" की जानकारी ए एस -15 के अनुसार नहीं दिया गया है । यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
ii.	Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS- 15 is not given. Although the Corporation is making the provisions on actual basis.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are required.
iii.	'परिसम्पत्ति में छति' के संबंध में लेखा मानक-28 छति की हानि, बहीमूल्य का 95 प्रतिशत तथा शेष बही मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
	उपर्युक्त ट्रीटमेंट का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।	
iii.	Accounting Standard '28' in respect of Impairment of Assets. Impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the assets. The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are required.
क.	अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक के लिये ब्याज पर व्यय के लिये प्रावधान नहीं किया गया है जबकि माफ करने का आदेश 9 मई, 2013 को प्राप्त हुआ है ।	जैसा कि 31.3.2012 तक के मूल ऋण को वापस ले लिया है अत: वर्ष के लिये ब्याज को लेखो में नहीं लिया गया है । भारत सरकार के आदेश के अनुसार 1.4.2013 को कोई ऋण या ब्याज नहीं था ।
a.	Provisions has not been made for the Interest Expense for the period April 2012 to March 2013 although the order for waiver of loan has received on 9th May, 2013.	Interest for the year have not been taken into books as the amount of principal loan has been withdrawn upto as on 31.03.2012. As per GOI order there was no loan and interest as on 01.04.2013.
ख.	विविध देनदार, ऋण एवं अग्रिम पुष्टि एवं मिलान पर निर्भर करता हैं ।	जिन पार्टियों से कम्पनी ने धनराशि लेना है उन्हें 31 मार्च, 2013 तक के बकाया के पुष्टि के लिये पत्र भेजा गया था। बहुत कम जवाब प्राप्त हुये हैं। इस वर्ष सभी बकाया देयता की पुष्टि के लिये कम्पनी लिखेगी।
b.	Balances in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances, are subject to confirmation and reconciliation.	Letter seeking confirmation of balance as 31st March 2013 were sent to all parties from whom sums are due to the company. The response received had been very poor. However, in the current year the company will be writing for confirmation of all debit balances.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां A.Q.No. Comments on		प्रबंधन के स्पष्टीकरण Reply of the Management
ग.	निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात कंपनी सचिव नहीं है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अंतर्गत अपेक्षित है।	भारत सरकार के निर्णय के अनुसार 2002-03 से कम्पनी की उत्पादन इकाइयों का प्रचालन बंद है और कम्पनी के सभी कर्मचारियों को वी.एस.एस. स्वीकृत किया गया है। वी.एस.एस. के लागू होने के कारण नई भर्ती नही हो सकी है। इसके अतिरिक्त कंपनी में वर्तमान में कुल 22 कर्मचारी होने के कारण और बी.आई.एफ.आर. द्वारा बंद करने के संस्तुति के कारण तथा 1987 के पश्चात वेतनमान में संशोधन न होने के कारण प्रतिभावानों को इस ओर आकर्शित नही किया जा सका है। इस समय निदेशक (वित्त) बोर्ड का काम देखते हैं।
c.	The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of section 383A of the Companies Act, 1956.	The operation of the manufacturing Units of the Company are under closure as per decision by GOI since 2002-03 and VSS has been sanctioned to all the employees of the Company. Due to the introduction of VSS, no recruitments can be undertaken, apart from the present strenghth being only 22 employees and the likely eventuality of winding-up recomendation of BIFR and the non-revision of pay scales after 1987, no talent can be attracted. At present, Director (Finance) is associated in looking after the Board matter.
घ.	माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो,लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देयता के ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो, को उल्लेखित न करना।	कम्पनी को (जैसा कि पूतिकर्ता को माइक्रो, लघु और मघ्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकारी के सामने भरना जरूरी है) उनको माइक्रो, लघु और मघ्यम उद्यम के दर्जे का ज्ञापन नहीं मिला है। इस प्रकार कोई देयता नही बनती जिसे देयता माना जाये जो कि मार्च 2013 को 45 दिन से अधिक समय से देय हों।
d.	Non disclosure of particulars and non accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	The Company has not received any memorandum (as required to be filled by the suppliers with the notified authority under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) claiming their status under Micro, Small and Medium Enterprises. Consequently there are no such entities to whom the Company owes dues, which are outstanding more than 45 days as on March, 2013.

ए. क्यू सं. टिप्पणियां **A.Q.No. Comments on**	प्रबंधन के स्पष्टीकरण **Reply of the Management**
ड. भूमि की लेखा प्रविष्टि जो कि विभिन्न स्थानों पर, संबंधित सरकारों से निःशुल्क प्राप्त हुई हैं को अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव अनिश्चित है।	संबंधित राज्य सरकारों से निःशुल्क में प्राप्त स्थायी परिसम्पत्तियों सर्वजानिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार कल्पित मूल्य पर लगाये गये है। कम्पनी द्वारा खरीदी गई/बनवाई गई/विकसित की गई स्थायी परिसम्पत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर दर्शाया गया है।
e. Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective Governments are yet to be passed; the impact of the same on the accounts remained unascertained.	Fixed Assets received free of cost from respective State Governments are staled at notional value as per DPE guidelines. Fixed Assets/purchased/constructed/developed by the company are stated at historical cost less accumulated depreciation.
भारत सरकार ने अपने स्पष्टीकरण सं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 274 के उपधारा (।) के खंड (जी) में निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है ।	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में की गई टिप्पणी स्वयं ही स्पष्ट है अतः इस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।
The Central Government has, vide clarification No. GSR 829 (E) dated 21st October, 2003 exempted government companies from the applicability of the provisions of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of Directors.	Remarks of the Auditors in their report is self explantory and therefore no comments are required.

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट-II

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफॅ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत टिप्पणी

लाभ एवं हानि लेखा

विशिष्ट एवं असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ : 38.17 करोड़ रूपये

प्राप्त होने योग्य प्रतिबद्धता फीस के गलत लेखांकन के कारण उपर्युक्त में 25 करोड़ रूपये अधिक दिखाया गया है जो कि चालू वर्ष के लिये 'आय' के रूप में वर्ष 2012-13 से संबंधित नहीं है। इसके कारण चालू परिसम्पत्ति नहीं (ऋण एवं अग्रिम) के विवरण में इतनी ही राशि को बढ़ा कर दर्शाया गया है।

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफॅ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर निदेशक मंडल का स्पष्टीकरण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के अंतर्गत वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक तथा आडिट बोर्ड-II के पदेन सदस्य, कोलकाता ने अनुपूरक लेखा परीक्षा किया है।

विचार विमर्श के समय यह सुझाया गया था कि प्रतिबद्धता फीस को वित्त वर्ष 2012-13 की अपेक्षा वित्त वर्ष 2013-14 में लिया जाये क्योंकि सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति 9.5.2013 की है, फिर भी कम्पनी ने इसे उपार्जन आधार पर वर्ष 2012-13 के लेखों में लिया है। भारतीय लेखा मानक-10 के अनुसार रिपोर्टिंग समय के पश्चात कार्यकलाप का अर्थ है रिपोर्टिंग समय के अंत में (31 मार्च, 2013) और जिस दिन वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल ने स्वीकृति दी है (19 जून, 2013) के बीच कार्यकलाप का होना। इसके अतिरिक्त उर्वरक विभाग द्वारा दी गई सी.सी.ई.ए. की स्वीकृति, संदर्भ पैरा 9.6.1, और संलग्नक-X के अनुसार प्रतिबद्धता फीस (25 करोड़ रूपये) की अतिरिक्त राशि को डालना जरूरी था ताकि बी.आई.एफ.आर. के कार्यक्षेत्र से बाहर निकलने के लिये निवल सम्पत्ति को धनात्मक बनाया जा सके।

ADDENDUM TO DIRECTORS REPORT-II

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SEC. 691(4) OF THE COMPANIES ACT. 1956 ON THE ACCOUNTS OF THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013	REMARKS OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2013
Profit & Loss Account **Profit before exceptional & extraordinary item & Tax: Rs. 38.17 crore.**	Principal Director of Commercial Audit & Ex offico Member, Audit Board II, Kolkata have conducted a supplementary Audit under Sec. 619(3) (b) of the Companies Act. 1956 on behalf of Comptroller & Auditor General of India.
The above is overstated by Rs. 25 crore due to incorrect accountal of Commitment Fee receivable, not pertaining to 2012-13, as ‘Income’ for the current year. This has also resulted in overstatement of Non-Current Assets (Loans & Advances) by an equivalent amount.	During discussions, it was advised that commitment fee should have been taken in the FY 2013-14 instead of FY 2012-13 as the CCEA approval was dated 9.5.2013. However, company has accounted for on accrual basis in the year 2012-13. Considering the Indian Accounting Standard-10 i.e. events after the reporting period meaning thereby events occured between the end of reporting period (31st March 2013) and the date when the financial statements are approved by the Board of Directors (19th June 2013) more over the additional infusion of commitment fee (Rs. 25 crore) was mandatory ref. para 9.6.1 of CCEA’s approval and Annexure X given by DoF so as to make the net worth positive for de registration from BIFR.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमनें दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न तुलन पत्र तथा इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये संलग्न निगम के लाभ एवं हानि विवरणिका तथा नकद प्रवाह विवरणिका और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार एवं अन्य स्पष्टीकृत सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है जो कि निगम की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह पर हमारे सत्य और निष्पच्छ मत को दर्शाता हो और जो कम्पनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 के उपधारा (3 सी) में संदर्भित लेखा मानक के अनुरूप हों। इस उत्तरदायित्व में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सम्बद्ध आन्तरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करे और जो किसी गलतबयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, से मुक्त हों ।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपना मत व्यक्त करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानक के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानको में यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार से करें कि एक उचित सीमा तक इस बात की संतुष्टि हो सके कि ये वित्तीय विवरण किसी प्रकार की गलतबयानी से मुक्त हैं ।

4. लेखा परीक्षा प्रक्रिया में राशियों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य और वित्तीय विवरणों के बारे में प्रकटन प्राप्त करना

AUDITORS' REPORT

Report on the Financial Statements

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Fertilizer Corporation of India Limited as at 31st March, 2013 and the related Profit and Loss Statement and Cash Flow Statement for the year ended on that date and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Corporation in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ("the Act"). This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures

होता है । जिन प्रक्रियाओ का चयन किया जाता है वे लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के बारे में किसी बड़ी गलतबयानी के जोखिमों का आंकलन चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, शामिल होता है। इस प्रकार के जोखिमों का आंकलन करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों को तैयार करने व उनकी उचित प्रस्तुति के लिये कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुये लेखापरीक्षा प्रक्रिया के डिजाइन का निर्धारण करता है जो उन परिस्थितियों में उचित होता है। लेखापरीक्षा कार्य में प्रबंधन द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के औचित्य और लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है और साथ ही इसमें वित्तीय विवरणों की विस्तृत प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है ।

5. हमारे मत में और हमें दी गयी उचित जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार संलग्न वित्तीय विवरण अधिनियम में यथा अपेक्षित सूचनाएं प्रदान करते हैं और भारत में प्राय: अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :

(क) 31 मार्च, 2013 की वस्तुस्थिति को दर्शाने वाला तुलन-पत्र कम्पनी के कार्यकलापों का।

(ख) लाभ-हानि के विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त हुए 12 महीनो के लिए लाभ के संबंध में ।

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के नकदी प्रवाह का।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

6. जैसे कि भारत के कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") की धारा 227 की उपधारा 4 (क) के

in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2013.

(b) In the case of the Profit and Loss Statement, of the Profit for the period of twelve months ended on that date.

(c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

6. As required by Companies (Auditors' Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditors'

अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट)(संशोधन) आदेश, 2004 ("आदेश 2004") के अंतर्गत अपेक्षित है और इस प्रकार से कम्पनी के लेखों और रिकार्ड के जॉच के आधार पर जैसा कि हमें उचित लगा तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर हम आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि-

i.क. स्थायी परिसम्पत्तियों और उन परिसम्पत्तियों का जो उपयोग में नहीं हैं और निपटान के लिये हैं, का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। हम विसंगतियों पर, यदि कोई हों तो और लेखों पर उनका प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं ।

i.ख. निगम ने निपटान के लिये रखी परिसम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों का मात्रात्मक ब्यौरों सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुये उचित ब्यौरा रखा है । केवल कुछ एककों/प्रभाग को छोड़ कर, जहॉं कुछ मदों, ब्यौरों, अवस्थापन तथा मात्रात्मक विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया है या सही अवस्थापनों को नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ एककों/प्रभाग के स्थायी परिसम्पत्तियों के रिकार्ड समय-समय पर लेखांकित नहीं किया है।

ii.क. वर्ष के अंतर्गत वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है ।

ii.ख. निगम ने वस्तुसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है । वस्तुसूचियों के भौतिक सत्यापन के अभाव में, यदि कोई हो तो, और लेखों पर उनके प्रभाव के संबंध में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

iii. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी को न तो सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत किया है और न ही लिया है।

Report) (Amendment) Order, 2004 (together 'the order') issued by the Central Government of India in terms of sub-section(4A) of section 227 of the Companies Act, 1956 of India (the 'Act') and on the basis of such checks of the books and records of the company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we further report that:

i.a. The physical verification of fixed assets including assets retired from active use held for disposal has not been carried out. We are unable to comment on any discrepancies, if any, and its treatment in accounts.

i.b. The Corporation has generally maintained proper records to show full particulars including quantitative details and situation of fixed assets including retired assets held for disposal except in some units/divisions where for some items particulars, locations and quantitative details have not been mentioned or correct location are not stated. Further, in some Units/Divisions fixed assets records are not updated.

ii.a. The physical verification of inventory was not conducted during the year.

ii.b. The Corporation is maintaining proper records of inventory. In the absence of any physical verification for the inventory we are unable to comment on the discrepancies, if any, and its treatment in accounts.

iii. The Corporation has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured, to companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.

iv. संरक्षित रजिस्टर में वर्णित अधिनियम की धारा 301 के अनुसार निगम ने अन्य कम्पनी, फर्म या पार्टी से कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं लिया है ।

v. भारत सरकार के बंद करने के आदेश के कारण चालू कंपनी की परिकल्पना को प्रभावित किया है । फिर भी निगम ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल भाग का निपटान नहीं किया है यद्यपि स्थायी परिसम्पत्तियों के अधिकांश हिस्से सक्रिय प्रयोग के योग्य नहीं हैं और निपटान के लिये रखे हुये हैं।

vi. भारत सरकार द्वारा निगम को बंद करने के आदेश जारी करने के कारण और फिर निगम में सीमित कर्मचारी ही बचने के कारण वस्तुसूचियों व स्थायी परिसम्पत्तियों को खरीदने और वस्तुओं की बिक्री और सेवा के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के विषय में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

vii. अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत, लेन-देन, जिसकी रजिस्टर में प्रविष्टि आवश्यक है, उसकी प्रविष्टि कर दी गयी है ।

viii. निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

ix. निगम में अपने कर्मचारियों में से ही एक एकक से दूसरे एकक में भेज कर आंतरिक लेखा परीक्षा करने की प्रणाली है । आंतरिक लेखा परीक्षा केवल एककों में वर्ष के कुछ अंश में किया गया है । हमें बताया गया है कि अत्यल्प स्टाफ तथा निगम को बंद करने के आदेश के कारण आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को विधिवत नहीं बनाये रखा जा सका है ।

x. निगम अविवादास्पद सांविधिक देयताओं सहित भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर आदि को जमा करने में सामान्यतः नियमित रही है । हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2013

iv. The Corporation has not taken any loans, secured or unsecured, from any company, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Act.

v. In view of the closure order issued by the Govt. of India the going concern assumption has been affected. However, the Corporation has not disposed off substantial part of the fixed assets during the year though major part of the fixed assets has been retired from active use and are held for disposal.

vi. In view of the order issued by the Government of India for closing the Corporation and further in view of the fact that only a few employees are left in the Corporation. We are unable to comment on the internal control system for the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services.

vii. The transactions that need to be entered into a register in pursuance of section 301 of the Act, has been so entered.

viii. The Corporation has not accepted any deposits from the public.

ix. The Corporation is having a internal audit system by its own staff rotating from one unit to other unit. Internal audit was conducted only at plants for part of the year. It has been explained that in view of the skeleton staff and closure orders for the Corporation, the internal audit department could not be maintained properly.

x. The Corporation has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Income Tax, Sales Tax, Service Tax etc. according to information and explanations given to us, no undisputed amount

को सिंदरी में 164.54 लाख रूपये तथा रामागुण्डम में 57.30 लाख रूपये उत्पाद शुल्क के तथा सिंदरी में 7.19 लाख रूपये, गोरखपुर में 2.24 लाख रूपये, रामागुण्डम में 1.72 लाख रूपये, तलचर में 0.58 लाख रूपये सेवा कर के देय हैं । इन्हे छोड़कर देयता की कोई अविवादास्पद राशि आयकर, सम्पत्ति कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयता के संबंध में जिस तिथि से देय हुये हैं, छः महीने से अधिक समय तक बकाया नही रहे हैं ।

xi. विवादास्पद राशि के संबंध में जो बिक्रीकर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं उपकर के रूप में जमा नहीं कराई, माँगी गई जानकारी इस रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में उपलब्ध है जो कि इसका अभिन्न भाग है और जो प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरणों पर आधरित है ।

xii. केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखना आवश्यक किया हुआ है । हमें बताया गया है कि निगम को बंद करने के आदेश के कारण निगम ने वर्ष 2003 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निगम को इस प्रकार के रिकार्ड रखनें से छूट देने के लिये आवेदन किया है। अभी तक इस संबंध में अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। चूंकि उत्पादन गतिविधियां बंद कर दी गयी हैं, लागत रिकार्ड नहीं बनाया गया है और न ही अनुरक्षित किया गया है ।

xiii. निगम को इस वर्ष तथा पिछते वित्त वर्ष में हानि हुई है। इस वर्ष निवल सम्पत्ति धनात्मक हो गई है तथा सी.सी.ई.ए. द्वारा 10740.36 करोड़ रूपये को माफ करने के साथ ही पुनरूज्जीवन का कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

xiv. हमे दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने प्रतिभूति के रूप में शेयरों, डिबेंचर और अन्य

payable in respect of Income Tax, Wealth Tax, Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other statutory dues, were outstanding as on 31st March, 2013 for a period of more than six months from the date they become payable except central excise duty Rs. 164.54 Lakh at Sindri Unit, Rs. 57.30 Lakh at Ramagundam Unit and Service Tax Rs. 7.19 Lakh at Sindri Unit, Rs. 2.24 Lakh at Gorakhpur Unit, Rs. 1.72 Lakh at Ramagundam Unit, Rs. 0.58 Lakh at Talchar Unit.

xi. In respect of disputed amounts not deposited on account of Sales Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty and Cess the required information is provided by way of an annexure to this report and which forms an integral part hereof and which is based on the necessary information and explanations provided by the management.

xii. Cost records have been prescribed by the Central Govt. under section 209(1)(d) of the Companies Act 1956. We are informed that the Corporation have moved an application in the year 2003 to the competent authority for exempting the Corporation for maintaining such records in view of the order of the Corporation. However, no such permission has yet been received. Since the production activities have been closed no cost records have been made and maintained.

xiii. The Corporation has incurred cash losses during the year and in the immediate preceding financial year. During the year the net worth has become positive and the revival process has started with the CCEA giving waiver amounting to Rs. 10740.36 Crores.

xiv. According to information and explanations given to us, the Corporation has not granted any

प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम की स्वीकृति नहीं दी है ।

xv. निगम चिटफंड कम्पनी नहीं है।

7. अधिनियम की धारा 227(3) के अनुसार हम बताना चाहते हैं कि–

क. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरणों को ले लिया गया है ।

ख. हमारी राय में, जैसा कि हमें उन बहियों के जॉच के दौरान दिखता है, निगम ने विधि के अनुसार लेखा बहियों को रखा है ।

ग. इस रिपोर्ट में दिये गये तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

घ. हमारी राय में ये लेखा 'चालू उद्यम नहीं' के आधाार पर बनाये गये हैं जो कि कम्पनी अधिनियम के धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक के अनुसार है, केवल इन्हे छोड़ कर–

i. लेखा मानक-2 'वस्तुसूचियों का मूल्यांकन' ए एस-2 के अनुसार नहीं किया गया है । कच्चा माल और स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स की वस्तुसूचियों का मूल्यांकन लगभग 25 प्रतिशत की लागत पर किया गया है तथा तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोज्य भंडार, पेन्ट और ल्यूब्रीकेन्ट, मैडिकल स्टोर्स का 100 प्रतिशत का प्रावधान निवल वसूली योग्य मूल्य सुनिश्चित किये बिना किया गया है।

loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

xv. The Corporation is not a chit fund company.

7. As required by section 227(3) of the Act we report that:

a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

b) In our opinion proper books of account *as* required by law have been kept by the Corporation so far as appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, Profit & Loss Statement and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, these accounts have been drawn up "not on going concern basis" in compliance with the applicable accounting standards referred to in sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act; except

i. Accounting Standard '2' Valuation of inventories to the extent that the inventory have not been valued in accordance with the AS-2. The Inventory of raw material, stores and spares have been valued at approximately 25% of the cost and 100% provision without ascertaining the net realizable value of the inventories has been taken for finished goods, packing materials, chemicals, catalyst, consumable stores, lubricants, medical stores.

उपर्युक्त ट्रीटमेंट का कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

चालू वर्ष में वस्तुसूचियों के अप्रचलन/कमियों से हानि, यदि कोई हो तो, जैसा कि हमें सूचित किया गया है, एककों में वस्तुसूची गोदाम पूरे वर्ष सील रहे हैं और उनका न तो भौतिक सत्यापन हुआ है और न ही उनका वसूली योग्य मूल्य अभिनिश्चित हुआ है और मूल्यांकन पिछले वर्ष के आधार पर लिया गया है जो कि बाजार भाव/भौतिक उपलब्धि को ध्यान में रखे बिना किया गया है ।

ii. लेखा मानक-15 "कर्मचारी हित लाभ" ए एस -15 के अनुसार नहीं दिया गया है । यद्यपि कम्पनी वास्तविक आधार पर प्रावधान कर रही है ।

iii. 'परिसम्पत्ति में छति' के संबंध में लेखा मानक-28 छति की हानि, बहीमूल्य का 95 प्रतिशत तथा शेष बही मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कबाड़/वसूली योग्य मूल्य को निश्चित किये बिना, प्रावधान किया गया है ।

उपर्युक्त ट्रीटमेंट का, कमी/बढ़त के प्रावधान के कारण घाटे में तथा अन्य संबंधित लेखों पर परिणामी प्रभाव क्या होगा, अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

ङ अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक के लिये ब्याज पर व्यय के लिये प्रावधान नहीं किया गया है जबकि माफ करने का आदेश 9 मई, 2013 को प्राप्त हो गया है ।

च. विविध देनदार, ऋण एवं अग्रिम पुष्टि एवं मिलान पर निर्भर करता है।

The conseqential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

Loss if any, on absolesecence/shortage of inventories during the year. As per information provided inventory godowns at the units remained sealed throughtout the year and neither their physical status verified nor their realizable value is ascertained during the year and the valuation has been adopted as it was in previous year without considering their market value/ physical availability.

ii. Accounting Standard '15' 'Employees Benefits' to the extent that disclosure in compliance with AS- 15 is not given. Although the Corporation is making the provisions on actual basis.

iii. Accounting Standard '28' in respect of Impairment of Assets. Impairment loss has been provided at 95% of the book value of assets leaving residual value equivalent to 5% of the book value without ascertainment of salvage/realizable value of the assets.

The consequential impact of the above treatment due to short/excess provisions on loss and other related accounts could not be ascertained.

e) Provisions has not been made for the Interest Expense for the period April 2012 to March 2013 although the order for waiver of loan has received on 9th May, 2013.

f) Balances in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances, are subject to confirmation and reconciliation.

छ. निगम में 2 जुलाई, 2003 के पश्चात कंपनी सचिव नहीं है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 383ए के अंतर्गत अपेक्षित है।

ज. माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बकाया देयता के ब्यौरे को प्रकट न करना और अलेखित देय ब्याज, यदि कोई हो तो, को उल्लेखित न करना।

झ. भूमि की लेखा प्रविष्टि जो कि विभिन्न स्थानों पर, संबंधित सरकारों से निःशुल्क प्राप्त हुई हैं को अभी तक लेखित करना है। इनका लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव अनिश्चित है।

ञ. भारत सरकार ने अपने स्पष्टीकरण सं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 में सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 274 के उपधारा (1) के खंड (जी) में निदेशकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान को लागू होने से मुक्त किया है ।

कृते मै० घोष खन्ना एण्ड कं.,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं०: 003366 एन
ह०/–
(रोहित कोहली)
भागीदार
सदस्यता सं : 87722

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19.06.2013

g) The Corporation did not have a Company Secretary after 2nd July 2003, as required in terms of section 383A of the Companies Act, 1956.

h) Non disclosure of particulars and non accounting of interest liability, if any, on outstanding dues of Micro, Small and Medium Enterprises as per Micro Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

i) Accounting entries for land received free of cost at various locations from the respective governments are yet to be passed; the impact of the same on the accounts remained unascertained.

j) The Central Government has, vide clarification No. GSR 829 (E) dated 21st October, 2003 exempted government companies from the applicability of the provisions of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956 relating to disqualification of Directors.

For Ghosh Khanna & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 003366N
Sd/-
(Rohit Kohli)
Partner
Membership No.87722

Place : New Delhi
Date : 19.06.2013

अनुलग्नक
Annexure

31.3.2013 को समाप्त वर्ष के लिये विवादास्पद सांविधिक देयताओं के ब्योरे
DETAILS OF DISPUTED STATUTORY DUES FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2013

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for Dispute
सिन्दरी Sindri				
1.	बिहार स्वास्थ्य उपकर अधिनियम '77 तथा बिहार और उड़ीसा प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1990	नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा स्वास्थ्य उपकर तथा शिक्षा उपकर अधिरोपित	229.49 लाख रुपय + ब्याज (सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसार 30 लाख रुपये का भुगतान न्यायालय को किया)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
	Bihar Health Cess Act. '77 and Bihar and Orissa Primary Education Act, 1990	Health Cess and Education Cess imposed by Notified Area Committee	229.49 lakh + Interest (Rs. 30 lakh paid to Court as per SC interim orders).	Supreme Court of India, New Delhi
2.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	315.85 लाख रुपये	सी ई एस टी ए टी, कोलकाता
	Excise	Excise duty	315.85 lakh	CESTAT, Kolkata.
3.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	17.28 लाख रुपये	उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना
	Excise	Excise duty	17.28 lakh	Commissioner of Excise, Patna.
4.	उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	25.64 लाख रुपये	आयुक्त (उत्पाद शुल्क), राँची
	Excise	Excise duty	25.64 lakh	Commissioner of Excise, Ranchi

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
5.	उत्पाद शुल्क Excise	उत्पाद शुल्क Excise duty	25.14 लाख रुपये 25.14 lakh	नया दावा Fresh Claim
6.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	421.65 लाख रुपये 421.65 lakh	जे सी सी टी, धनबाद JCCT, Dhanbad
7.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	2009.06 लाख रुपये 2009.06 lakh	सी सी टी, राँची CCT, Ranchi
8.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	1.00 लाख रुपये 1.00 lakh	ए सी सी टी, राँची ACCT, Ranchi
9.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर तथा जुर्माना Sales Tax & Penalty	5.00 लाख रुपये + 1993-94 से ब्याज 5.00 lakh + Interest from 1993-94	सी सी टी, पटना CCT, Patna
गोरखपुर Gorakhpur				
10.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	0.41 लाख रुपये 0.41 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad
11.	ट्रेड कर अधिनियम Trade Tax Act	उत्पाद शुल्क Excise Duty	0.32 लाख रुपये 0.32 lakh	उच्च न्यायालय, इलाहाबाद High Court, Allahabad

क्रमांक Sl. No.	एकक एवं संविधि का नाम Unit and Name of the Statute	देयताओं का प्रकार Nature of dues	राशि (लाख रुपये) Amount (Rs./Lakh)	विवाद सुलझाने का फोरम Forum for dispute
रामागुण्डम				
Ramagundam				
कोई ऐसा मामला नहीं है।				
No such cases.				
तलचर				
Talcher				
12.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	2.27 लाख रुपये 2.27 lakh	सहायक आयुक्त बिक्री कर, कटक, उड़ीसा Asstt. Commissioner of Sales Tax, Cuttack, Odisha
कोरबा				
Korba				
13.	नगर निगम, कोरबा Nagar Nigam, Korba	सम्पत्ति कर Property Tax	33.55 लाख रुपये 33.55 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
14.	वन विभाग Forest Department	वन रोपण क्षतिपूर्ति Forest Growth Compensation	8.66 लाख रुपये 8.66 lakh	उच्च न्यायालय, बिलासपुर High Court, Bilaspur
विपणन प्रभाग				
Marketing Division				
15.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.89 लाख रुपये 24.89 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, पटना Asstt. Commissioner of Sales Tax, Patna
16.	बिक्री कर अधिनियम Sales Tax Act	बिक्री कर Sales Tax	24.00 लाख रुपये 24.00 lakh	सहायक आयुक्त, बिक्री कर, लखनऊ Asstt. Commissioner of Sales Tax, Lucknow

दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वित्तीय प्रतिवेदन कार्य संरचना के अनुसार दि फर्टिलाईजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड की 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण को तैयार करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धार 619(2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अनुसार वित्तीय विवरणों पर अपने वृत्तिक निकाय, इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों एवं आश्वासन के अनुसार निष्पक्ष लेखा परीक्षा के आधार पर अपने विचार व्यक्त करना है। दिनांक 19 जून, 2013 के लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत यह बताया गया है, कि उन्होंने यह कार्य पूरा कर दिया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिये, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(बी) के अंतर्गत दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षण स्वतंत्र रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रलेख को बिना जांचे किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी वैयक्तिक के जांच और कुछ चुनिंदा लेखा बहियों के परीक्षण तक सीमित है। मेरे अनुपूरक लेखा परीक्षण के आधार पर मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अतंर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को उजागर करना चाहता हूँ जो कि मेरी जानकारी में आई हैं और जो कि मेरे विचार में वित्तीय विवरण और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को समझने के लिये आवश्यक हैं।

लाभ एवं हानि लेखा
विशिष्ट एवं असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ : 38.17 करोड़ रूपये

प्राप्त होने योग्य प्रतिबद्धता फीस के गलत लेखांकन के कारण उपर्युक्त में 25 करोड़ रूपये अधिक दिखाया गया है जो कि चालू वर्ष के लिये 'आय' के रूप में वर्ष 2012-13 से संबंधित नहीं है। इसके कारण चालू परिसम्पत्ति नहीं (ऋण एवं अग्रिम) के विवरण में इतनी ही राशि को बढ़ा कर दर्शाया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए एवं की ओर से

ह०/-
(यशोधरा राय चौधरी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रमुख निदेशक
तथा आडिट बोर्ड-II के पदेन सदस्य
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 28.8.2013

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF THE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2013.

The preparation of financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2013 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated June 19, 2013.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Fertilizer Corporation of India Limited for the year ended 31st March, 2013. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to inquiries of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 619(4) of the Companies Act, 1956 which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and related Audit Report.

Profit & Loss Account
Profit before exceptional & extraordinary items & Tax : Rs. 38.17 Crore.

The above is overstated by Rs. 25 crore due to incorrect accountal of Commitment Fee receivable, not pertaining to 2012-13, as ‘Income’ for the current year. This has also resulted in overstatement of Non-Current Assets (Loans & Advances) by an equivalent amount.

For and of behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Sd/-
(Yashodhara Ray Chaudhuri)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-Officio Member, Audit Board-II
Kolkata

Kolkata
Dated : 28.08.2013

तुलन पत्र
(31 मार्च, 2013 को)

BALANCE SHEET
AS AT 31ST MARCH, 2013

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
इक्विटी एवं देयताएं	**EQUITY & LIABILITIES**			
शेयर धारियों की निधियां	**Shareholders' Funds**			
शेयर पूँजी	Share Capital	2	7,509,239	7,509,239
आरक्षित एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	3	(7,458,258)	(115,239,008)
चालू देयताएं नहीं हैं	**Non-Current Liabilities**			
दीर्घ अवधि ऋण	Long Term Borrowings	4	15,000	27,442,766
दीर्घ अवधि देयताएं	Long Term Liabilities	5	1,511,198	81,593,158
दीर्घ अवधि प्रावधान	Long Term Provisions	6	126,787	175,464
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
चालू देयताएं	Current Liabilities	7	11,662	12,922
अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	8	2,907	2,516
लघु अवधि प्रावधान	Short Term Provisions	9	39,003	39,474
योग	**Total**		1,757,538	1,536,531
परिसम्पत्तियाँ	ASSETS			
चालू परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं	Non-current Assets			
स्थायी परिसम्पत्तियाँ	Fixed Assets	10		
मूर्त परिसम्पत्तियाँ	Tangible Assets		620,704	623,159

(जारी)/Continued

तुलन पत्र (31 मार्च 2013 को) (जारी)
BALANCE SHEET (As at 31st March, 2013) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
निवेश	Investment	11	5	5
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash equivalents	12	9,961	9,481
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	13	366,079	107,975
चालू परिसम्पत्तियाँ	**Current Assets**			
वस्तु सूचियाँ	Inventories	14	155,186	155,620
व्यापार प्राप्ति योग्य	Trade Receivable	15	1,143	1,015
नकद एवं नकद के बराबर	Cash & Cash equivalents	12	578,919	608,598
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	13	25,541	30,678
योग	**Total**		1,757,538	1,536,531

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न भाग हैं।

The accompanying notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

यह हमारे इसी तिथि को रिपोर्ट में वर्णित तुलन-पत्र है।

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(टी.सी.ए कल्याणी)/(T.C.A. Kalyaani)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(सतीश चन्द्र)/(Satish Chandra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.06.2013

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये)
PROFIT & LOSS STATEMENT (For the year ended on 31st March, 2013)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
अन्य आय	Other Income	17	504,912	89,410
कुल राजस्व	Total Revenue		504,912	89,410
व्यय	**Expenses**			
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय	Employee benefit expenses	18	14,308	15,550
वित्त लागत	Finance Cost	19	1	5,539,097
प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenses	20	106,381	101,350
मूल्यह्रास एवं मुक्ति व्यय	Depreciation and amortization expenses	10	2,485	2,662
कुल व्यय	Total Expenses		123,175	5,658,659
विशिष्ट एवं असाधारण मदों एवं कर से पहले लाभ	Profit before exceptional and extra ordinary items & tax		381,737	(5,569,249)
असाधारण मद	Exceptional items	22	107,403,686	-
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ	Profit before extra ordinary item & tax		107,785,423	(5,569,249)
असाधारण मद	Extra ordinary items		-	182,505
पूर्व अवधि समायोजन	Prior Period Expenses	23	4,673	140,888
पूर्व अवधि समायोजन तथा असाधारण मदों के समायोजन के पश्चात लाभ/हानि	Profit/Loss after prior period and extra ordinary adjustments		107,780,750	(5,527,632)

(जारी)/Continued

लाभ एवं हानि लेखा (31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये) (जारी)
PROFIT & LOSS STATEMENT (for the year ended on 31st March, 2013) (Continued)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		अनुसूची संख्या Note No.	31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
जोड़ : पिछले वर्ष से आगे लायी गयी हानि	Add : Loss brought forward from previous years		(115,247,169)	(109,719,537)
तुलन-पत्र में लाया गया बकाया	Balance carried over to Balance Sheet		(7,466,419)	(115,247,169)
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (1000/- रुपये प्रत्येक अंकित मूल्य)	Earnings per equity share (Face Value Rs. 1000 each):			
मूल	(1) Basic		14.35	-0.74
द्रवीय	(2) Diluted		14.35	-0.74

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखा का अभिन्न भाग हैं।
The accompanying notes referred to above form an integral part of the Profit and Loss Statement.
यह हमारे इस तिथि को रिपोर्ट में वर्णित लाभ एवं हानि लेखा विवरण है।
This is the Profit and Loss Statement referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(टी.सी.ए कल्याणी)/(T.C.A. Kalyaani)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(सतीश चन्द्र)/(Satish Chandra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.06.2013

अनुसूची-2
शेयर पूंजी
NOTE – 2
SHARE CAPITAL

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
प्राधिकृत 8,000,000 इक्विटी शेयर रु. 1000/- के प्रत्येक (गत वर्ष 8,000,000 इक्विटी शेयर)	**Authorised** 8,000,000 Equity shares of Rs.1000/-each (Previous Year, 8,000,000 Equity Shares)	8,000,000	8,000,000
जारी किये गये, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त 7509239 इक्विटी शेयर रुपये 1000 के पूर्णतः प्रदत्त (गत वर्ष 7509239 इक्विटी शेयर)	**Issued, Subscribed & Fully paid up** 7509239 Equity shares of Rs. 1000/- each fully paid up (Previous Year 7509239 Equity Shares)	7,509,239	7,509,239
		7,509,239	7,509, 239

अनुसूची-3
आरक्षित एवं अधिशेष
NOTE – 3
RESERVE AND SURPLUS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
क. आरक्षित पूंजी	a. Capital Reserve		
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	7,569	9,950
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया	Less : Written back during the year	-	2,381
		7,569	7,569
ख. अन्य आरक्षित (औद्योगिक आवास पर सब्सिडी)	b. Other Reserve (Subsidy on Industrial Housing)		
प्रारम्भिक शेष	Opening balance	592	895
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस किया गया	Less : Written back during the year	-	303
		592	592
लाभ एवं हानि लेखा से अंतरित राशि	Amount transferred from Profit & Loss Statement	(7,466,419)	(115,247,169)
		(7,458,258)	(115,239,008)

अनुसूची–4
दीर्घ अवधि ऋण
NOTE – 4
LONG TERM BORROWINGS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
असुरक्षित	**Unsecured**		
भारत सरकार से	From Govt. of India	-	27,392,766
सी.डब्ल्यू. सी. से	From C.W.C.	15,000	50,000
		15,000	27,442,766

अनुसूची–5
दीर्घ अवधि देयताएँ
NOTE – 5
LONG TERM LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
ट्रेड देय	**Trade Pyables**		
पूँजी लेखे पर	On Capital Account	6,225	22,309
ट्रेड पर देयता	On Trade Payables	1,068,203	1,806,198
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and other deposits	37,316	89,853
प्रतिभूति/बयाना जमा राशि	Security/Earnest money deposit	36,125	44,026
अन्य	**Others**		
भूतपूर्व कर्मचारी	Ex-Employees	14,715	31,484
भूतपूर्व कर्मचारी (आवास पट्टे पर)	Ex-Employees (Lease accommodation)	193,313	191,873
एल. आई. सी. गारंटी शुल्क	LIC Guarantee fee	-	96,900
भारत सरकार के ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज	Interest accrued & due on Govt. of India	-	79,044,680
सी. डब्ल्यू. सी. के ऋण पर उपार्जित एवं देय ब्याज	Interest accured & due on (CWC)	-	76,327
सांविधिक देयताएं व अन्य	Statutory liabilities & others	78,664	109,359
सीमा शुल्क	Custom duty	58,509	58,509
अन्य देयताएं	Other Liabilities	12,042	16,027
कर्मचारी सुख सुविधा निधि	Worker's Amenities Fund	6,086	5,613
		1,511,198	81,593,158

अनुसूची-6
दीर्घ अवधि प्रावधान
NOTE – 6
LONG TERM PROVISIONS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
पूंजी खाता	Capital Account	1,191	3,043
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	118,941	145,063
नोएडा की भूमि पर जुर्माना ब्याज	Penal Interest on NOIDA land	3,420	3,420
नेहरू प्लेस फ्लैट धारक	Nehlu Place Flat onwners	748	748
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory liabilities & others	2,487	23,190
		126,787	175,464

अनुसूची-7
चालू देयताएं
NOTE – 7
CURRENT LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
ट्रेड देय	Trade Payables		
खर्चे पर लेनदार	Creditors for Expenses	261	552
ट्रेड एवं अन्य जमा	Trade and other deposits	263	719
प्रतिभूति/बयाना राशि जमा	Security / Earnest money deposit	6,165	9,154
सांविधिक देयताएं एवं अन्य	Statutory liabilities & others	4,973	2,497
		11,662	12,922

अनुसूची–8
अन्य चालू देयताएं
NOTE – 8
OTHER CURRENT LIABILITIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
अन्य खाते	Other account	279	358
देय लेखा परीक्षा शुल्क	Audit fee payable	212	236
देय किराया	Rent payable	2,340	1,740
देय विद्युत खर्चे	Electricity expenses payable	76	171
देय जल के खर्चे	Water expenses payable	-	11
		2,907	2,516

अनुसूची–9
लघु अवधि प्रावधान
NOTE – 9
SHORT TERM PROVISIONS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
(क) कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रावधान	**(a) Provisions for Employees Benefit**		
कर्मचारियों को वेतन	Salary for employees	476	609
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	270	346
आनुतोषिक (दी गई राशि)	Gratuity (funded)	6,500	6,188
अवकाश नगदीकरण (दी गई राशि)	Leave Encashment (funded)	2,292	2,313
सेवानिवृत्ति (दी गई राशि)	Superannuation (funded)	16,567	20,053
अन्य (वी.एस.एस.-टी.ए., आदि)	Others (VSS-TA, etc.)	353	567
(ख) अन्य	**(b) Other**		
व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Expenses	12,370	9,223
लेखा परीक्षा व्यय के लिये प्रावधान	Provision for Audit Expenses	175	175
		39,003	39,474

अनुसूची–10
स्थायी परिसम्पत्तियाँ
NOTE–10
FIXED ASSETS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	सकल खण्ड /Gross Block					संचित मूल्यह्रास/Accumulated Depreciation					निवल खण्ड/Net Block	
	01.4.2012 को बकाया Balance as at 01.04.2012	वृद्धि/ (निपटान) Addition/ (Disposal)	व्यापार भागीदारी से अर्जित Aquired through business combination	पुनर्मूल्यांकन/ (छति) Revaluation/ (impairment)	31.03.2013 को बकाया Balance as at 31.03.2013	01.4.2012 को बकाया Balance as at 01.04.2012	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for The Year	पुनर्मूल्यांकन के कारण समायोजन Adjustment due to revaluation	निपटान के लिए On Disposals	31.3.2013 को बकाया Blance as at 31.03.2013	31.3.2012 को बकाया Balance as at 31.03.2012	31.3.2013 को बकाया Balance as at 31.03.2013
(क) निपटान के लिये सेवामुक्त परिसम्पत्तियाँ A) Assets retired and held for disposal												
सड़क एवं पुलिया Roads & Culverts - F.Y.	16746				16746	15909				15909	837	837
भवन Buildings - F.Y.	184911				184911	175666				175666	9245	9245
रेल साइडिंग्स Railway Sidings	68414				68414	64993				64993	3421	3421
संयंत्र एवं मशीनरी Plant and Machinery	10074142	-	-		10074142	9570435	-		-	9570435	503707	503707
गैस टरबाईन Gas Turbine	166015				166015	157715				157715	8300	8300
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewarage and Drainage - F.Y.	122811				122811	116670				116670	6141	6141
विविध उपकरण Misc. Equipments	87182	-	-		87182	82823			-	82823	4359	4359
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	39863				39863	37874			-	37874	1989	1989
परिवहन गाड़ियां Transport Vehicles	9082	-	-		9082	8627			-	8627	455	455
	10769166	-	-	-	10769166	10230712	-	-	-	10230712	538454	538454
पूंजीगत सामग्री Capital Stores	188533				188533	179106	-	-	-	179106	9427	9427
योग (क)/Total (A)	10957699	-	-	-	10957699	10409818	-	-	-	10409818	547881	547881
(ख) अन्य परिसम्पत्तियां (टाउनशिप सहित) B) Other Assets (Including Township)												
भूमि पट्टे पर Land - Lease Hold	20002				20002	5873	217			6090	14129	13912

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

	सकल खण्ड /Gross Block					संचित मूल्यह्रास/Accumulated Depreciation					निवल खण्ड/Net Block	
मूर्त परिसम्पत्तियाँ Tangible Assets	01.4.2012 को बकाया Balance as at 01.04.2012	वृद्धि (निपटान) Addition/ (Disposal)	व्यापार भागीदारी से अर्जित Aquired through business combination	पुनर्मूल्यांकन/ (छति) Revaluation/ (impairment)	31.03.2013 को बकाया Balance as at 31.03.2013	01.4.2012 को बकाया Balance as at 01.04.2012	वर्ष में मूल्यह्रास Depreciation charged for The Year	पुनर्मूल्यांकन केकारण समायोजन Adjustment due to revaluation	निपटान केलिए On Disposals	31.3.2013 को बकाया Blance as at 31.03.2013	31.3.2012 को बकाया Balance as at 31.03.2012	31.3.2013 को बकाया Balance as at 31.03.2013
भूमि स्वामित्व पर Land – Free Hold	28989				28989	-				-	28989	28989
सड़कें एवं पुलिया Roads & Culverts	15437				15437	12752	129			12881	2685	2556
भवन Buildings	190619				190619	161984	1855			163839	28635	26780
जल प्रणाली, सीवर एवं निकासी Water System, Sewarage and Drainage	39621				39621	39149	164			39313	472	308
विविध उपकरण Misc. Equipments	7210	-			7210	7071	71			7142	139	68
फर्नीचर, जुड़नार एवं कार्यालय उपकरण Furniture, Fixture and Office Appliances	2455	30			2485	2434	3		-	2437	21	48
संयंत्र एवं मशीनरी (कम्प्यूटर) Plant & Machinery (Computer)	293	-	-	-	293	88	46	-	-	134	205	159
विद्युत उपकरण संस्थापन– टाउनशिप Elect. Instt. Township	1317	-	-		1317	1314	1		-	1315	3	2
योग (ख)/Total (B)	305943	30	-	-	305973	230665	2485	-	-	233150	75278	72823
योग (क + ख)/Grand Total (A+B)	11263642	30	-	--	11263672	10640483	2485	-	-	10642968	623158	620704

अनुसूची–11
निवेश
NOTE – 11
INVESTMENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
व्यापारोत्तर निवेश (अनिवेदित लागत पर)	**Non-Trade Investments (At cost-unquoted)**		
कर्मचारी सहकारी स्टोर्स लि. में पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	Fully paid up equity shares in Employees Co-operative Stores Limited	15	15
घटाएं : निवेश के मूल्य में कमी के लिये प्रावधान	Less : Provision for diminuition in value of Investments	10	10
		5	5

अनुसूची–12
नकद एवं नकद के बराबर
NOTE – 12
CASH & CASH EQUIVALENTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2013 को As on 31.03.2013	31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2013 को As on 31.03.2013	31.03.2012 को As on 31.03.2012
(क) बैंक में शेष	**(a) Balance with Banks**				
चालू खाता–I	Current Account I			6,418	6,028
चालू खाता–II	Current Account II				
(सुख–सुविधा राशि)	(Amenities Fund)	544	544		
(ख) नकद हाथ में	**(b) Cash in hand**			242	321
प्रेषण मार्गस्थ में	Remittance in transit				
(ग) अन्य	**(c) Others**				
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts				
(सुख–सुविधा राशि)	(Amenities Fund)	5,603	5,123		
मियादी जमा खाता	Fixed Deposit Accounts			358,400	401,000
नो लियन फ्लैक्सी	No lien flexi				
जमा खाता	deposit account			175,340	165,513
नो लियन खाता	No lien Account			38,519	35,736
डाकघर में बचत	Deposits with Post Office				
खाते में जमा	Savings Bank				
(आबकारी विभाग के	Account (Pledged with				
पास गिरवी)	Excise Deptt)	3,814	3,814		
		9,961	9,481	578,919	608,598

अनुसूची-13
ऋण एवं अग्रिम
NOTE – 13
LOANS & ADVANCES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		चालू नहीं/Non Current		चालू/Current	
		31.03.2013 को As on 31.03.2013	31.03.2012 को As on 31.03.2012	31.03.2013 को As on 31.03.2013	31.03.2012 को As on 31.03.2012
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good				
(क) संबंधित पार्टियों (एस.सी.जी.) को ऋण एवं अग्रिम	(a) Loans & advances to related parties (SCG)				
गृह निर्माण ऋण	House Building Loan	31	31		
अन्य किराया संबंधी देयताएँ	Other rental dues	1,041	1,113		
(ख) अग्रिम	(b) Advances				
पूर्तिकर्ता	Suppliers	12,378	12,378		-
कर्मचारी	Employees	262	465	279	241
जमा	Deposits	867	684		
अन्य	Others	248	337	1,057	2,017
प्रतिबद्धता फीस (सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल.)	Commitment fee (SAIL, CIL & EIL)	250,000	-		
पूर्व चुकता व्यय	Pre-paid expenses	-	-	399	399
किराये की देयता – दुकानदार/सरकारी बैंक, स्कूल आदि	Rental dues – Shopkeepers/PSU Banks, School etc.	13,899	8,071	1,379	2,388
पट्टे पर किराया-भूतपूर्व कर्मचारी	Lease Rent – Ex employees	1,612	2,552		
किराया, पानी और विद्युत शुल्क-पी.डी.आई. एल.	Rent/Water & Elec. Charges-PDIL	6,681	5,942		
पट्टे पर किराया – रेलवे साइडिंग	Lease Rent-Railway siding			388	374
सरकारी प्राधिकरण/ अन्य के पास जमा	Deposit with Govt. Authorities/others	55,415	58,273	22,039	25,259
लघु अवधि जमा पर उपार्जित ब्याज	Interest accured on short term deposit	58	46		
प्राप्ति योग्य राशि :	Accounts receivable :				
आय कर	Income tax	23,525	18,021	-	-
प्राप्ति योग्य राशि (एन.एफ.एल.)	Accounts receivable (NFL)	62	62		
		366,079	107,975	25,541	30,678
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	105,862	105,662	-	-
घटाएं : संदिग्ध अन्य ऋण, अग्रिम के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful other loans advance	105,862	105,662	-	-
		366,079	107,975	25,541	30,678

अनुसूची–14
वस्तु सूचियाँ
NOTE – 14
INVENTORIES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

			31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
क. कच्चा माल (लागत मूल्य पर)	a.	Raw Materials (Valued at Cost)	18,723	18,723
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	14,042	14,042
			4,681	4,681
ख. पैकिंग सामग्री (लागत मूल्य पर)	b.	Packing Materials (Valued at Cost)	3,359	3,359
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	3,359	3,359
			—	—
ग. तैयार माल (कम लागत मूल्य पर / निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)	c.	Finished goods (valued at lower of cost /net relisable value)	13	13
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	13	13
घ. स्टाक व्यापार में	d.	Stock in trade	—	—
ङ. स्टोर्स एवं स्पेयर्स	e.	Stores & Spares		
(लागत मूल्य पर मूल्यांकित)		(Valued at Cost)	570,220	570,220
मार्गस्थ सामग्री		Goods in transit	4,662	4,662
सामग्री निरीक्षण में		Goods under inspecton	27	27
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	424,404	423,970
			150,505	150,939
च. अन्य	f.	Others		
मध्यवर्ती/अर्ध-तैयार माल (कम लागत मूल्य पर/निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)		Intermediate / Semi-finished goods (valued at lower of cost/net realisable value)	-	-
उपोत्पाद (निवल वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)		By product (valued at net realisable value)	-	-
			-	-
कबाड़ (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित)		Scrap (valued at estimated realisable value)	14,430	14,430
घटाएं : अप्रचलन के लिये प्रावधान		Less : Provision for obsolescence	14,430	14,430
			-	-
			155,186	155,620

अनुसूची–15
व्यापारिक प्राप्ति योग्य
NOTE – 15
TRADE RECEIVABLES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
भुगतान वाले दिन से छः महीने से अधिक बकाया जो व्यापारिक प्राप्ति योग्य है।	**Trade receiveables outstanding for a period exceeding six months from the date they are due for payment**		
सुरक्षित खरे समझे गये	Secured Considered good	-	-
असुरक्षित खरे समझे गये	Unsecured considered good	1,143	1,015
संदिग्ध समझे गये	Considered Doubtful	186,337	186,337
घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Less : Provision for doubtful debts	186,337	186,337
		1,143	1,015

अनुसूची–16

आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

NOTE – 16

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS (TO THE EXTENT NOT PROVIDED FOR)

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

				31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
(I)	**आकस्मिक देयताएं**	**(I)**	**Contingent liabilities**		
(क)	कम्पनी के ऊपर दावे जिसे ऋण नहीं माना गया है:	(a)	Claims against the Company not acknowledged as debt :		
	बिक्री कर के लिये माँग		Demand for Sales Tax	276,081	273,427
	उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क के लिये माँग		Demand for Excise duty/Customs	38,391	57,166
	बकाया पूरा किये जाने वाले ठेका की अनुमानित राशि		Estimated amount of Contract remaining to be executed	8,800	8,800
	मध्यस्थ के पास/ न्यायालय में लंबित निर्णय		Pending decision of Court/under Arbitration	157,466	174,647
	सेवाकर की पुनर्वापसी		Reserve charge of service tax	911	
	कुल आकस्मिक देयताएं		Total Contingent liabilities	481,649	514,040
(II)	**प्रतिबद्धता**	**(II)**	**Commitments**	-	-
				481,649	514,040

अनुसूची-17
अन्य आय
NOTE – 17
OTHER INCOME

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
ब्याज से आय	**Interest Income**		
बैंक में जमा	Bank deposits	4	4
लघु अवधि जमा	Short term deposits	50,166	48,954
लघु अवधि जमा (नो लियन खाता)	Short term deposits (No lien account)	2,873	3,000
कर्मचारी सुख सुविधा कोष के लिये बैंक में जमा	Bank deposits workers amenities fund	455	373
घटाएं : कर्मचारी सुख-सुविधा कोष को स्थांतरित	Less : Transfer to workers amenities fund	(455)	(373)
अन्य आय अप्रचालन से	**Other non-operating Income**		
किराया, विद्युत/जल शुल्क की वसूली	Recovery of Rent, Elec./Water charges	3,917	5,251
पट्टे के आवास के किराये की वसूली	Recovery of lease rent from leased Accommodation	3,645	6,830
प्रतिबद्धता फीस	Commitment fee	250,000	-
लाइसेंस फीस की वसूली	Recovery of License fee	5,852	5,751
भूमि के किराये की वसूली	Recovery of rent from land	2,743	4,281
ए.सी.सी. से लाइसेंस फीस (रेलवे साइडिंग) की वसूली	Recovery of Licence fee from ACC (Rly. Siding)	7,525	7,486
एन.एफ.एल. से प्राप्त मशीनरी का पट्टा किराया	Lease rent of Machinery received from NFL	1,703	1,103
पी.डी.आई.एल. से प्राप्त जल प्रभार	Water charges received from PDIL	1,124	270
अन्य आय	Misc Income	768	996
अन्य लघु आय	Other petty income	72	406
टेंडर फीस की वसूली	Recovery of Tender fee	25	11
पंखों के लिये वसूली	Recovery for fans	5	8
प्राप्त किया गया जुर्माना	Penalty recovered	42	14
सिलेंडर के किराये से आय	Rental Income from Cylinder	483	483
वापस लिया गया अधिक का प्रावधान	Excess Provision written-back	173,965	4,562
		504,912	89,410

अनुसूची–18
कर्मचारियों के लाभ पर व्यय
NOTE – 18
EMPLOYEES BENEFIT EXPENSES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
वेतन एवं भत्ते	Salaries & Wages	11,559	12,587
भविष्य निधि में अंशदान	Contribution to Provident Fund	432	458
वी.एस.एस. पर व्यय	Expenses on VSS	604	706
कर्मचारियों के कल्याण पर व्यय	Staff Welfare Expenses	1,335	1,448
कर्मचारियों को आनुतोषिक	Gratuity to Employees	378	351
		14,308	15,550

अनुसूची–19
वित्तीय लागत
NOTE – 19
FINANCE COSTS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	Interest on Loan From Govt. of India	-	4,777,833
भारत सरकार के ऋण पर जुर्माना ब्याज	Penal Interest on Loan From Govt. of India	-	753,301
अन्य ब्याज	Other Interest	1	7,963
		1	5,539,097

अनुसूची–20
प्रशासनिक व्यय
NOTE – 20
ADMINISTRATIVE EXPENSES

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
निदेशकों का शुल्क	Director fees	50	35
विद्युत एवं जल प्रभार	Electricity Charges & Water	13,277	11,551
किराया	Rent	600	600
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repair & Maintenance	12,466	10,581
सुरक्षा व्यय	Security Expenses	49,749	46,252
बीमा	Insurance	378	385
दर एवं कर	Rates & Taxes	5,942	4,848
प्रतिधारितों को भुगतान	Payment to retainers	5,540	4,425
वृत्तिक व्यय	Professional expenses	5,036	4,781
ठेके के श्रमिकों पर व्यय	Contract labour expenses	5,654	4,508
विविध व्यय (फैक्ट्री)	Misc. Expenses (Factory)	997	1,267
विविध व्यय (प्रशासन)	Misc. Expenses (Admn.)	1,160	1,015
विविध व्यय (कम्प्यूटर)	Misc. Expenses (Computer)	57	79
किराये पर वाहन का प्रभार	Hire charges of Vehicles	1,181	875
ई पी एफ का निरीक्षण प्रभार	Inspection charges of EPF	15	18
बैंक प्रभार	Bank charges	35	46
समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ	News papers & periodicals	76	24
गैस्ट हाऊस प्रभार	Guest House Expenses	113	75
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	Printing & Stationery	499	427
डाक एवं टेलीग्राम	Postage and Telegram	79	79
टेलीफोन, फैक्स आदि	Telephone, Fax etc.	682	672
यात्रा पर व्यय	Travelling Expenses	1,489	1,868
वाहनों के आवागमन पर व्यय	Running expenses on vehicles	564	550
सत्कार व्यय	Entertainment Expenses	73	96
अप्रचलित वस्तुओं के लिये प्रावधान	Provisions for obsolete goods	434	-
संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	Provisions for doubtful debts	235	6,293
		106,381	101,350

अनुसूची–21
लेखा परीक्षकों को भुगतान
NOTE – 21
PAYMENT TO AUDITORS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fee	170	170
टैक्स लेखा परीक्षा शुल्क	Tax Audit Fees	40	40
सेवा कर	Service Tax	26	26
		236	236

अनुसूची–22
विशिष्ट मदें
NOTE – 22
EXCEPTIONAL ITEMS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
भारत सरकार से ऋण	GOI Loan	27,392,766	-
एल.आई.सी. गारंटी फीस	LIC Guarantee fees	96,900	-
भारत सरकार से ऋण पर ब्याज	Interest on GOI loan	79,044,680	-
70% देयता की वापसी (ओ.टी.एस.)	Withdrawl of 70% liability (OTS)	758,013	-
ऋण एवं ब्याज की वापसी (अन्य)	Withdrawl of loan & interest (others)	111,327	-
		107,403,686	-

अनुसूची–23
पूर्व अवधि मदें
NOTE – 23
PRIOR PERIOD ITEMS

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

		31.03.2013 को As at 31.03.2013	31.03.2012 को As at 31.03.2012
व्यय	**Expenditure**		
वेतन एवं भत्ते	Salary and Wages	27	23
उत्पाद शुल्क/बिक्री कर	Excise duty/Sales Tax	-	12
मरम्मत एवं अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	8	1,470
लेखा परीक्षकों का यात्रा व्यय	Auditors Travelling expenses	-	56
सीमा शुल्क	Custom duty	-	58,000
बिजली एवं ईंधन	Power & Fuel	4,705	79,180
अन्य व्यय	Other expenses	398	6,319
वापस ली गई राशि	Amount written back	-	(1,921)
		5,138	143,139
आय	**Income**		
अन्य विविध आय	Other Misc. Income	465	1,917
मूल्यह्रास	Depreciation	-	334
		465	2,251
		4,673	140,888

अनुसूची/NOTE-1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखों पर टिप्पणियां जो कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन-पत्र का भाग है।

क. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

I. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत उपार्जन आधार पर तैयार किये जाते हैं जो कि सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के अनुसार हैं जिसे कम्पनी नियम 2006 (लेखा मानक) के साथ पढ़ा जाये। कम्पनी अधिनियम 1956 की संशोधित अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट प्रकट करने की अपेक्षा को जहां तक संभव था अनुपालन किया गया है।

एफ.सी.आई.एल. की बन्द इकाइयों के पुनरूज्जीवन के संबंध में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सी.सी.ई.ए.) के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय के लागू होने पर लेखों को चालू संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

II. राजस्व मान्यता

अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, आय/व्यय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी गई है।

III. स्थाई परिसम्पत्तियां

क) स्थायी परिसम्पत्तियों का उल्लेख उनके ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

ख) परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण उनके पूरा होने तथा उपयोग में आने के प्रमाणपत्र के बाद किया जाता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS, FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2013.

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

I. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Financial Statements are prepared on accrual basis under Historical Cost Convention and in accordance with generally accepted accounting principles in India and the provisions of the Companies Act 1956, read with Companies (Accounting Standard) Rules, 2006. The disclosure requirements as specified in the revised schedule VI to the Companies Act, 1956 have been complied with to the extent practicable.

Accounts have been finalized on the basis of going concern basis after implementation of the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs' (CCEA) dated 9.5.2013 on revival of closed units of FCIL.

II. REVENUE RECOGNITION

Income or expenditure is recognised on accrual basis unless and otherwise stated.

III. FIXED ASSETS

a) Fixed Assets are stated at Historical Cost.

b) Assets are capitalized after they are certified to be complete and put to use.

ग) अगर अन्यथा उल्लिखित न हो, राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि को नाममात्र की लागत और/या उसके अधिग्रहण के समय हुये प्रासंगिक व्यय के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग के निदेशों के अनुसार है।

घ) उन मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, जिनका उपयोग अनियमित है तथा एक संयंत्र के साथ जुड़ा है का पूंजीकरण लेखा मानक-2 (संशोधित) के प्रावधान के अनुसार किया जाता है।

ङ) अमूर्त परिसम्पत्ति केवल उसे माना गया है जहाँ यह समझा गया है कि भविष्य में कम्पनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और लागत व व्यय को विश्वास पूर्वक मापा जा सकता है।

च) सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्य ह्रासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

IV. निवेश

दीर्घ अवधि के निवेशों को लागत पर लिया जाता है। इस प्रकार के निवेश के मूल्य में घटत को, अस्थायी को छोड़ कर लिया जाता है और प्रावधान किया जाता है।

V. मूल्यह्रास

क. 5000/- रु. मूल्य तक की परिसम्पत्तियों को सम्मिलित किये जाने के वर्ष में ही पूरी तरह मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

ख. स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास (सेवामुक्त और निपटान के लिये रखी हुई को छोड़कर) कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित अनुसूची XIV में उपलब्ध दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के कुल लागत पर स्ट्रेट लाइन पद्धति से लगाया जाता है।

c) Land given free of cost by State Governments and other authorities is capitalised at normal cost and / or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition in accordance with the guidelines given by the Department of Public Enterprises, Government of India, unless otherwise stated.

d) Machinery spares whose use are expected to be irregular and could be identified with the plant are capitalized in pursuance with provisions of Accounting Standard - 2 (Revised).

e) Intangible Asset is recognised only in case of probability that future Economic Benefits will flow to the Company and the cost & expenses could be measured reliably.

f) Retired Plant and Machinery and other assets are depreciated up to 95% of the original cost and 5% are shown as residual value.

IV. INVESTMENT

Long term investments are carried at cost. Declined, other than temporary, in the value of such investment, is recognised and provided for.

V. DEPRECIATION

a) Assets costing up to Rs.5000/- are fully depreciated in the year of addition.

b) Depreciation on fixed assets (other than retired and held for disposal) is charged up to the total cost of the assets on straight line method as per the rates prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

ग. सेवामुक्त संयंत्र एवं मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य का 95 प्रतिशत तक मूल्यह्रासित किया जाता है तथा 5 प्रतिशत को बकाया कीमत के रूप में दर्शाया जाता है।

घ. पट्टे की भूमि को पट्टे की अवधि के पश्चात ऋणमुक्त कर दिया जाता है।

VI. वस्तुसूचियां

i) प्रबंधन ने निश्चय किया है कि वस्तुसूचियों के मूल्यांकन में तैयार माल, पैकिंग सामग्री, रसायन, कैटेलिस्ट, उपभोग योग्य भंडार, चिकित्सा भंडार एवं कबाड़ की वस्तुसूचियों के अप्रचलन व कमियों को लागत के 100% पर प्रावधान किया जाये।

ii) वस्तुसूचियों की वर्तमान कीमत जिसमें कच्चामाल, स्टोर्स एवं स्पेयर्स शामिल हैं, को लागत का 25% लिया गया है।

VII. कर्मचारी लाभ

क. लघु अवधि कर्मचारी लाभ

लघु अवधि कर्मचारी लाभ में आनुतोषिक, वेतन, भत्ते, भविष्यनिधि में अंशदान, देय बीमारी अवकाश, देय वार्षिक अवकाश, आर्थिक लाभ जैसे कि चिकित्सा सुविधा और गैर आर्थिक लाभ जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों को मकान, को लेखों में वर्तमान खर्चों में लिया गया है।

ख. सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति से पूर्व लाभ संबंधी रोजगारान्तर देयताएँ जैसे आनुतोषिक निधि में अंशदान और उपार्जित छुट्टियों

c) Retired plant and Machinery and other assets are depreciated upto 95% of the original cost and 5% are shown in the books as residual value.

d) Lease hold land amortised over the period of lease.

VI. INVENTORIES

i. In the valuation of inventory, management decided to keep provision for obsolescence and shortages against inventories of finished goods, packing material, chemicals, catalyst and consumable stores, medical stores and scrap at 100% of the cost.

ii. The current value of inventories including raw material stores and spares has been considered at 25% of the cost.

VII. EMPLOYEES BENEFITS

a. Short Term Employees' Benefits

Short term employees' benefits, such as, gratuity, salary, wages, contribution to Provident Fund, paid sick leave, paid annual leave, monetary benefits, such as, medical care and non monetary benefits like houses for current employees, are charged of in accounts as current expenditure.

b. Retirement Benefits

The liability towards post-retirement benefits, i.e. contribution to gratuity fund, provision for encashment of accumulated leaves are made

के नकदीकरण के लिये प्रावधान वास्तविक आधार पर किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

VIII. पूर्व चुकता व्यय

25000/- रुपये मूल्य तक के प्रत्येक पूर्व चुकता व्यय को उसी वर्ष में लेखित किया जाता है जिसमें वह व्यय किया गया हो।

ख. लेखों पर टिप्पणियां

1. कम्पनी के पुनरूज्जीवन के संबंध में सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9 मई, 2013 के निर्णय को उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने अपने संदर्भ सं 18055/13/2012- एफ सी ए-1, दिनांक 21 मई, 2013 के साथ सी.सी.ई.ए. के निर्णय के सारांश को संलग्न करते हुये सूचना एवं उचित कार्यवाही के लिए भेजा है। अनुमोदन की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:-

   i. भारत सरकार के 31.3.2012 तक के 2739.27 करोड़ रूपये के ऋण को माफ करना।

   ii. भारत सरकार के 31.3.2012 तक के ऋण पर 7904.47 करोड़ रूपये के ब्याज को माफ करना।

   iii. एल.आई.सी. के 31.3.2012 तक के गांरटी फीस के 9.69 करोड़ रूपये को माफ करना।

   iv. निवल मूल्य को धनात्मक बनाने के लिए सम्भाव्य कर देयताओं को माफ करना।

   v. भागग्रही सरकारी उद्यमों (सेल, सी.आई.एल. और ई.आई.एल.) को दिये जाने वाले दिशा निर्देश की स्वीकृत प्रतिबद्धता फीस के 25 करोड़ रूपये

on actual basis and charged to Profit & Loss Statement.

VIII. PREPAID EXPENSES

Prepaid expenses up to Rs.25,000/- in each case is accounted for in the year in which they are incurred.

B. NOTES ON ACCOUNTS

1. Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers, vide their Ref. No.18055/13/2012-FCA-I dated 21st May, 2013 communicated the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) on 9th May 2013 with regard to revival of the Company, enclosing therewith a 'Gist of CCEA decisions' for information and appropriate action. The salient features of the approval are as under:

   i. Waiver of Government of India Loan amounting to Rs.2739.27 crore as on 31.3.2012.

   ii. Waiver of interest on Government of India loan amounting to Rs.7904.47 crore as on 31.3.2012.

   iii. Waiver of LIC Guarantee fees amounting to Rs.9.69 crore as on 31.3.2012.

   iv. Waiver of consequent tax liabilities on account of making net worth positive.

   v. Approved directive to be given to the participating PSUs (SAIL, CIL & EIL) to pay a commitment fee of Rs.25 crore to FCIL, to

एफ.सी.आई.एल. को दें जिससे कम्पनी अपने निवल मूल्य को धनात्मक बना सके।

vi. प्रमुख असुरक्षित लेनदारों के साथ समझौते के अनुसार उनके बकाया का एफ.सी.आई.एल. के लेखों के आधार पर 30% के एकमुश्त समझौते को मंजूरी। ये लेनदार एन.पी.डी.सी.एल., सी.डब्लू. सी., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल. और आई.ओ. सी. है।

vii. मै0 डी.वी.सी. और सी.आई.एस.एफ. को 31.03. 2003 तक की मिलान कर ली गयी देयता को देना और 31.3.2003 से पूर्व लगाई गई ब्याज अथवा जुर्माना को माफ करना ।

viii. लेनदारों को 30% के एकमुश्त समझौता (ओ.टी. एस) के भुगतान के लिए एफ.सी.आई.एल., तीन एककों के पुनरूज्जीवन में लगी भागीदार सरकारी उद्यमों से 17 करोड़ रूपये का आन्तरिक निगमित ऋण लेगा जिसे कि भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय में विस्तार से बताया गया है और एफ.सी.आई.एल. के ऋण पर भारत सरकार गारंटी प्रदान करेगा।

भारत सरकार द्वारा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दी गयी स्वीकृति के अनुसार ए. एस. 4 (तुलना-पत्र के तिथि के पश्चात आकस्मिक एवं असंभावित घटना-पैरा-8) में दिये गये दिशा निदेशों को ध्यान में रखते हुये परिपालन किया गया है और इन लेखों में उसकी झलक मिलती है।

क) सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय के आधार पर प्रमुख असुरक्षित लेनदारों अर्थात भारत सरकार के ऋण के 2739.27 करोड़ रूपये (31.3.2012 तक) को माफ कर दिया गया है।

ख) भारत सरकार के ऋण पर 7904.47 करोड़ रूपये (31.03.2012 तक) के देय ब्याज को लेखों से हटा दिया गया है।

enable the Company to make its net worth positive.

vi. Approved OTS at 30% with major unsecured creditors of their due as per FCIL Books of Accounts, as agreed by them. These creditors are NPDCL, CWC, SCCL, BHEL and IOC.

vii. The dues of M/s. DVC and CISF would be paid as reconciled as on 31.3.2003 with waiver of any interest or penalty imposed before 31.3.2003.

viii. FCIL will raise inter corporate loan of Rs.171 crore from PSUs, participating in the revival of three Units, in order to settle the creditors at 30% One Time Settlement (OTS), as detailed in the decisions taken by GoI and GoI guarantee would be provided to the loan to FCIL.

The approvals given by the Govt. of India in the preceding paragraphs are implemented and reflected in these accounts pursuant to guidelines given in the AS-4 (contingencies and event occuring after the Balance Sheet date Para 8):

(a) Based on the CCEA decisions dated 9.5.2013, the major unsecured creditors, i.e. GoI loan have been waived amounting to Rs.2739.27 crore (as on 31.3.2012).

(b) Liability of interest on GoI Loan withdrawn from the books amounting to Rs.7904.47 crore (as on 31.3.2012).

ग) गारंटी फीस के 9.69 करोड़ रूपये (31.3.2012 तक) को लेखों में से हटा दिया गया है।

घ) प्रतिबद्धता फीस के 25 करोड़ रूपये को आय के रूप में लिया गया है।

ड) मै0 आई.ओ.सी. ने सिद्धान्त रूप में 31.3.2002 तक देय 49.36 करोड़ रूपये का 30% स्वीकार करने की सहमति दे दी है। माफ किये गये 70% जो कि 34.55 करोड़ रूपये है को लेखों में विशिष्ट मद में लिया गया है।

च) मैं0 एस.सी.सी.एल. ने एफ.सी.आई.एल. के लेखों में बकाया मूलधन के 8.56 करोड़ रूपये को एकमुश्त समझौते के अंतर्गत 30% को स्वीकार करने की सहमति भेज दी है शेष 5.99 करोड़ रूपये जो कि 70% है, को विशिष्ट मद में लेखों में लिया गया है।

छ) नार्दन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी आफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड ने एफ.सी.आई.एल. के लेखों में अपने बकाया 39.13 करोड़ रूपये का एकमुश्त समझौते में 30% लेने की सहमति दे दी है। शेष 27.39 करोड़ रूपये जो कि 70% है को लेखों से हटा दिया गया है।

ज) मै0 बी.एच.ई.एल. ने अपने कुल बकाया 5.44 करोड़ रूपये का एकमुश्त समझौते में 30% लेने की सहमति दे दी है। शेष 3.81 करोड़ रूपये जो कि 70% है, को लेखों से हटा दिया गया है।

झ) मै0 सी.डब्लू सी. ने लघु अवधि ऋण के 5 करोड़ रूपये पर ब्याज का प्रावधान किया था जो कि मार्च 2003 तक 12.63 करोड रूपये देय था। मूलधन का 30% को एकमुश्त समझौते के पश्चात ब्याज के 100% को माफ करने के पश्चात 1.50 करोड़ रूपये देय राशि बनती है। अत:

(c) Liability of guarantee fee amounting to Rs.9.69 crore (as on 31.3.2012) have been withdrawn from the books.

(d) Commitment Fee of Rs.25 crore has been taken as income.

(e) M/s. IOC has agreed, in principle, to accept 30% of Rs.49.36 crore, being the amount outstanding as on 31.3.2002. The waiver of 70% amounting to Rs.34.55 crore has been taken into account as an exceptional item.

(f) M/s. SCCL have conveyed their acceptance of OTS at 30% of their outstanding principal amount of Rs.8.56 crore in the books of FCIL. The balance amount of Rs.5.99 crore, being 70%, have been written back in the books as an exceptional item.

(g) Northern Power Distribution Company of Andhra Pradesh Limited have accepted OTS at 30% of their dues of Rs.39.13 crore as per FCIL books of accounts. The balance amount of Rs 27.39 crore, being 70%, has been withdrawn.

(h) M/s. BHEL have agreed to accept OTS at 30% of its total dues of Rs.5.44 crore. The balance amount of Rs.3.81 crore, being 70%, has been withdrawn from the books.

(i) M/s. CWC provided interest bearing short term loan of Rs.5 crore, which stands to Rs 12.63 crore as dues as on March 2003. After the acceptance of OTS at 30% of principal amount and acceptance of waiver of 100% interest amount, the payable amount

11.13 करोड़ रूपये की शेष राशि को लेखों से हटा दिया गया है।

ञ. 17.40 करोड़ रूपये की अस्थायी देयताएं, जिनको रखना जरूरी नहीं है, जो कि संविधिक रूप से देय हैं, विवादित या न्यायालयाधीन हैं, जो कि 15 से 28 वर्ष से लंबित हैं और समय-सीमा से बाहर हो गये हैं तथा जिनका न तो दावा प्राप्त हुआ है और न ही पार्टियों से अब तक कोई पत्राचार ही प्राप्त हुआ है, को लेखों से हटा दिया गया है। इनको एक रजिस्टर में बनाये रखा जायेगा और भविष्य में किसी पार्टी से दावा प्राप्त होने पर सक्षम प्रधिकारी की स्वीकृति और छानबीन के पश्चात कार्यवाही की जायेगी तथा दावे पर विचार किया जायेगा।

ट) भारत सरकार के मार्च 2013 तक के ऋण एवं ब्याज को माफ करने के संबंध में सी.सी.ई.ए. के दिनांक 9.5.2013 के निर्णय के अनुसार वर्ष 2012-13 के ब्याज को लेखों में नहीं लिया गया है क्योंकि मूल ऋण की राशि को इस वर्ष से हटा दिया गया है जो कि मार्च 2012 तक बकाया था।

ठ) प्रमुख लेनदारों जैसे आई.ओ.सी., डी.वी.सी., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल., एन.पी.डी.सी.एल., दक्षिण-पूर्व रेलवे, यू.पी.पी.सी.एल. और सी.डब्ल्यू.सी. से बकाया की लिखित पुष्टि के आधार पर मिलान कर लिया गया है। देयता में अन्तर की राशि, यदि कोई हो तो, का लेखों में प्रावधान कर दिया गया है।

2. पिछले वर्ष की तुलना में लेखा नीतियों, सिद्धान्त या कार्य विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

comes to Rs.1.50 crore. Therefore, the balance amount of Rs.11.13 crore has been withdrawn.

(j) The provisional liabilities, which are no longer required and are outdated and lying pending since 15 to 28 years and also neither any claim, nor any correspondence received from the parties till date, amounting to Rs. 17.40 crore have been withdrawn from the books, barring those cases, which are statutorily payable, disputed or sub-judice. Details of all the items, which are withdrawn, would be maintained in a register and in case of receipt of claims from any of such parties in future, required due diligence would be carried out and claims would be entertained after the scrutiny and approval of Competent Authority.

(k) As per decision of the CCEA dated 9.5.2013 on the waiver of GoI loan and interest as on March 2012, interest for the year 2012-13 have not been taken into the books, as the amount of principal loan have been withdrawn in the current year which was outstanding up to March 2012.

(l) Confirmation of balances in respect of major creditors like IOC, DVC, SCCL, BHEL and NPDCL, South Eastern Railway, UPPCL and CWC have been reconciled on the basis of written confirmation. The differential amount of liability, if any, has been provided in the books.

2. There is no changes in accounting policies, principles or procedures as compared to the previous year.

2. **स्थायी परिसम्पत्तियाँ तथा पूंजीगत चालू कार्य**

2.1 तलचर में यद्यपि भूमि प्रत्यक्ष रूप में एफ. सी. आई. एल. के कब्जे में है लेकिन राजस्व रिकार्ड संबंधी औपचारिकता को पूरा नहीं किया जा सका है। तलचर की 7.780 एकड़ भूमि (पिछले वर्ष 7.780 एकड़) भूमि से संबंधित समझौता/ कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं हो सकी है। यह 'नाल्ला' की भूमि है जो टाऊनशिप में हो कर जाती है तथा कुछ समय पहले जिला के विभाजन के कारण जिला प्रशासन द्वारा भूमि संबंधी ब्यौरा एकत्रित नहीं किया जा सका है। इसे लेखा में 0.40 लाख रुपये का लेखित किया गया है।

2.2 कोरबा में 885.5 एकड़ भूमि 1974 और 1980 में सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई है लेकिन वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 885.5 एकड़ भूमि में से 258 एकड़ भूमि कम्पनी/ उर्वरक विभाग की स्वीकृति के बिना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को आबंटित कर दी है। भूमि आदि के संबंध में उर्वरक विभाग ने अपने पत्र सं. 18021/02/2005- एफ. सी. ए.-1 (खंड IX) दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा कोरबा के पुनरूज्जीवन के लिए भूमि के प्रयोग एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से 'सुविधा पत्र' माँगा है।

2.3 लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार अनुमानित 18.64 लाख रुपये मूल्य की भूमि जो कि ओडिशा सरकार से नि:शुल्क प्राप्त हुई है को लेखों में आरक्षित पूँजी में लेखित किया गया है।

2.4 गोरखपुर में निगम को अपनी परियोजना को स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 से मार्च 1970 तक 993 एकड़ भूमि को अर्जित और आबंटित किया था जिसमें से 40% अर्जित मूल्य जिसकी कीमत 21.78 लाख रुपये आंकी गयी थी का भुगतान एफ.सी.आई.एल. द्वारा

2.0 FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

2.1 At Talcher, though the land is physically in the possession of FCIL, the formalities with regard to revenue records could not be completed. Agreement/ Legal formalities remain to be executed with regard to 7.780 acres of land at Talcher (previous year 7.780 acres). This is a land of "Nalla" passing through the township and due to District bifurcation some time back, the land details could not be compiled by the District Authorities. The same has been accounted for at Rs.0.40 lakhs in the books of accounts.

2.2 Land measuring 885.5 acres at Korba has been received in 1974 and 1980 free of cost from the State Government. However, in the year 2005, Government of Chhattisgarh has allotted 258 acres of land out of 885.5 acres to Chhattisgarh State Electricity Board without obtaining permission from the Company/ DOF. Department of Fertilizers vide DO no.18021/02/2005-FCA-1(VOL.IX) dated 25.11.2011, sought a 'Letter of Comfort' from the Government of Chhattisgarh with regard to the land use and other facilities for the revival of Korba.

2.3 As per the guidelines of Department of Public Enterprises, land notionally valued at Rs.18.64 lakh, received free of cost from Government of Odisha, was taken into books through capital reserve value.

2.4 At Gorakhpur, Government of Uttar Pradesh acquired and allotted to FCIL 993 acres of land during December 1963 to March 1970 for its project, out of which 40% of acquisition cost, valued at Rs. 21.78 lakh had been paid to the Government

सरकार को कर दिया गया था तथा शेष 60% जिसकी कीमत 32.67 लाख रुपये आंकी गयी थी निगम को उपहार स्वरूप दी गयी थी।

2.5 आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से रामागुण्डम में नवम्बर 1971 में नि:शुल्क प्राप्त 975.12 एकड़ भूमि का लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार कल्पित मूल्यांकन 4.59 लाख रुपये किया गया है तथा इसे लेखों में पिछले वर्ष समाविष्ट आरक्षित पूँजी के अंतर्गत किया गया है।

2.6 तलचर में पुनरुज्जीवन संबंधी अन्तिम निर्णय के होने तक एक आपसी समझौता व्यवस्था के अंतर्गत एच. डब्ल्यू. पी. को दिये गये 202 मकानों के बदले में एच. डब्ल्यू. पी. से 344 मकान प्राप्त हुए हैं। इसका लेखों में समायोजन नहीं किया गया है।

2.7 डी ओ एफ और एम एच ए (गृह मंत्रालय) के बीच हुये दिनांक 5.2.2004 के एम ओ यू के अंतर्गत गोरखपुर में कुछ भवन और मकान एस एस बी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है को हस्तांतरित किये गये थे। गृह मंत्रालय ने पहले संकेत दिया था कि उन्हें यह सम्पत्ति लम्बी अवधि के लिये नहीं चाहिए और वे इन सम्पत्तियों को खाली कर देंगे। एस.एस. बी. द्वारा इसे छोड़ने के संबंध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है।

3.0 चालू देयताएं एवं प्रावधान

3.1 चालू देयताओं में उन 22 कर्मचारियों के स्वैच्छिक प्रथक्करण योजना क्षतिपूर्ति के 257.12 लाख रुपये (पिछले वर्ष 291.21 लाख रुपये) शामिल हैं जिनका वी.एस.एस. का आवेदन स्वीकृत हो गया है परन्तु जिन्हें कार्य की आवश्यकता के कारण 31.03.2013 तक कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है। इन कर्मचारियों की सेवामुक्ति के समय 31.03.2013 को प्रावधान की गयी देयता तथा वास्तविक भुगतान में आये अन्तर को इन कर्मचारियों के वास्तविक सेवामुक्ति के बाद लेखित किया जायेगा।

by FCIL and the balance 60% valued at Rs. 32.67 lakh was gifted to the Company.

2.5 At Ramagundam, 975.12 acres of land was received by FCIL from the State Government of Andhra Pradesh in November 1971 free of cost notionally valued at Rs. 4.59 lakh as per the guidelines of Department of Public Enterprises and entry of the same had been passed in the Accounts in the previous years through Capital reserve.

2.6 At Talcher, 202 quarters have been given to Heavy Water Plant (HWP) in exchange of 344 quarters received from HWP under a mutually agreed arrangement subject to final decision on revival. Accordingly, no adjustment for the same has been carried out in the books.

2.7 At Gorakhpur certain buildings and quarters had been transferred to SSB in terms of MOU under Ministry of Home Affairs (MHA) dated 05.02.2004 between DoF and MHA. MHA had indicated earlier that they would not need these properties on long term basis and would vacate these properties. The action have not been taken to move out by SSB.

3.0 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

3.1 Current liability includes an amount of Rs. 257.12 lakh (previous year Rs.291.21 lakh) in respect of VSS compensation for 22 employees, whose request for VSS has been accepted but they have not been released by 31.03.2013 due to exigencies of work. Any difference in actual payment compared to liability provided as on 31.03.2013 will be accounted for after release of these employees.

3.2 विविध लेनदार में स्वीकार न किये गये 5.23 लाख रुपये शामिल हैं जो कि गोरखपुर एकक के 9 कर्मचारियों जिन्होंने वी. एस. एस. नहीं अपनाया है और जिनकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत सेवा समाप्त कर दी गयी थी, को आनुतोषिक एवं अर्जित अवकाश आदि का चैकों द्वारा भुगातन के संबंध में है।

3.2 Sundry creditors include a non-accepted amount of Rs.5.23 lakh in respect of payment by cheque towards gratuity and earned leave etc. for nine employees of Gorakhpur Unit who did not opt for VSS and were terminated as per Industrial Disputes Act, 1947.

4.0 विविध

4.0 MISCELLANEOUS

4.1 निदेशक मंडल की राय है कि सामान्य व्यापार स्थिति में निगम के बंद होने/निपटान से चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम का वसूली योग्य मूल्य कम से कम वित्तीय विवरण में दर्शाये गये मूल्य के बराबर तो है ही।

4.1 In the opinion of the Board, Current Assets, Loans & Advances have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the financial statements.

4.2 निगम के बन्द होने के निर्णय के कारण निगम को लागत लेखा रिकार्ड उर्वरक नियम 1993 के अर्न्तगत रखे जाने वाले लागत रिकार्डों को बनाने से मुक्ति मिल गयी है तथा इसके लिये सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति अभी मिलनी बाकी है।

4.2 In view of the decision for stoppage of operation of fertilizer units of the Company, exemption for maintaining cost records, “Cost Accounting Records” under the Fertilizer Rules 1993, has been sought from appropriate authority, for which approval is yet to be received.

4.3 विविध देनदारों, लेनदारों, कर्मचारियों, ऋणदाता एवं अन्य से अधिशेषों की पुष्टि नहीं हुई है। लेखों में विसंगति, यदि कोई हो तो, के संबंध में अभिनिश्चत नहीं किया जा सकता।

4.3 Balances of sundry debtors, employees and others are unconfirmed. Discrepancies, if any, on the account are not ascertainable.

4.4 प्रमुख लेनदारों जैसे आई.ओ.सी., डी.वी.सी., एस.सी.सी.एल., बी.एच.ई.एल., एन.पी.डी.सी.एल., दक्षिण-पूर्व रेलवे, यू.पी.पी.सी.एल. और सी. डब्लू.सी. से बकाया की लिखित पुष्टि के आधार पर मिलान कर लिया गया है। देयता में अन्तर की राशि का लेखों में प्रावधान कर दिया गया है।

4.4 Balances in respect of major creditors like IOC, DVC, SCCL, BHEL, NPDCL, South Eastern Railway, UPPCL and CWC have been reconciled on the basis of written confirmation. The differential amount of liability has been further provided in the books.

4.5 बिक्री कर का निर्धारण (जो सुनवाई के लिये लंबित है को छोड़कर) 2009-10 तक पूरा कर लिया गया है। कार्पोरेट निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2009-10 तक पूरा कर लिया गया है।

4.5 Assessment of sales tax (other than those which are pending under appeal) is completed up to 2009-10. Corporate Assessment *is* completed upto assessment year 2009-10.

4.6 भारत सरकार के वर्ष 2002 में उत्पादन गतिविधि को बन्द करने और वी. एस.एस. के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के निर्णय के कारण तथा बी.आई. एफ. आर. द्वारा जारी दिनांक 17.5.2004 के बन्द करने के संस्तुति के अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी इकाइयाँ अप्रचालन में रही हैं तथा वर्ष में स्थायी परिसम्पत्तियों और वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। फिर भी कंपनी के पुनरुज्जीवन के लिये इसे ठीक प्रकार जाँचना होगा।

4.7 बी. आई. एफ. आर. के दिनांक 17.5.2004 के बंद करने के आदेश के कारण और कोई प्रचालन गतिविधि न होने के कारण कम्पनी द्वारा राशि का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम, माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आते हैं। अत: कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद VI के अंतर्गत माँगी गयी जानकारी नहीं दी गयी है।

5.0 संबंधित पार्टी विवरण

(i) महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक

1) श्री सतीश चन्द्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 12.07.2012 से अब तक

2) श्री शाम लाल गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 31.3.2011 से 12.07.2012 तक

3) श्रीमती टी सी ए कल्याणी, निदेशक (वित्त), 30.10.2008 से 18.07.2013 तक

4) श्रीमती ललिता दास, निदेशक, 22.12.2010 से 25.6.2012 तक

5) श्री एस. आनन्दन, निदेशक, 8.8.2011 से अब तक

6) डॉ. प्रदीप कुमार, विशेष निदेशक, बी. आई. एफ. आर., 4.02.2011 से 27.06.2013 तक

4.6 In view of GoI decision to close manufacturing operations in the year 2002 and release of employees on VSS and the winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004, all units remained non-operational during the year. Therefore, no physical verification of fixed assets & inventories could be carried out. However, it will be taken up as part of due diligence for revival of the company.

4.7 In view of winding up recommendation issued by BIFR vide order dated 17.05.2004 and in the absence of any operational activity, the Company has not determined the amount due to Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006. Therefore, the desired disclosures as required under Schedule VI of Companies Act, 1956 are not given.

5.0 RELATED PARTY DISCLOSURES

(i) Key Management Personnel:

1) Shri Satish Chandra, Chairman and Managing Director, w.e.f. 12.07.2012 till date.

2) Shri Sham Lal Goel, Chairman and Managing Director w.e.f. 31.03.2011 to 12.07.2012.

3) Smt. T C A Kalyaani, Director (Finance) w.e.f. 30.10.2008 to 18.07.2013.

4) Smt. Lalitha Das, Director, w.e.f. 22.12.2010 to 25.06.2012.

5) Shri S. Anandan, Director, w.e.f. 8.8.2011 till date.

6) Dr. Pradeep Kumar, Special Director, BIFR, w.e.f. 4.2.2011 to 27.06.2013.

7) श्री धीरेन्द्र रस्तोगी, विशेष निदेशक, बी. आई. एफ. आर., 6.6.2012 से 14.10.2012 तक

8) श्री नीरज सिंघल, निदेशक, 25.6.2012 से 27.8.2012 तक

9) श्री विजय रंजन सिंह, निदेशक, 27.8.2012 से अब तक

(ii) वह संस्थान जिन पर महत्वपूर्ण प्रबंधन वैयक्तिक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं :

क. मैं. एच. एफ. सी. एल.
ख. मै. क्रिभको
ग. मै. आर. सी. एफ.
घ. मै. एफ. ए. सी. टी.
ड. मै. एन. एफ. एल.

(iii) कम्पनी तथा संबंधित पार्टियों के कार्य व्यापार का ब्यौरा तथा 31.3.2013 को बकाया अधिशेष की स्थिति:

क.	एच. एफ. सी. एल. से वसूली योग्य	– इस वर्ष 148.81 लाख रुपये पिछले वर्ष 148.81 लाख रुपये
ख.	एन. एफ. एल. से वसूली योग्य	– इस वर्ष 133.40 लाख रुपये पिछले वर्ष 133.40 लाख रुपये
ग.	एन.एफ.एल. से पट्टा किराया	– इस वर्ष 17.02 लाख रुपये पिछले वर्ष 12.16 लाख रूपये
घ.	कृभको के अधयक्ष द्वारा ए–14 एसियन खेल गाँव कम्पलैक्स, नई दिल्ली में अधिग्रहीत फ्लैट का पट्टे पर प्राप्त किराया	– इस वर्ष 10.26 लाख रुपये पिछले वर्ष 8.94 लाख रुपये

7) Shri Dhirendra Rastogi, Special Director, BIFR, w.e.f. 6.6.2012 to 14.10.2012.

8) Shri Neeraj Singhal, Director, w.e.f. 25.06.2012 to 27.08.2012.

9) Shri Vijay Ranjan Singh, Director, w.e.f. 27.08.2012 till date.

ii) Enterprises over which key management personnel are able to exercise significant influence:

a) M/s HFCL .
b) M/s KRIBHCO
c) M/s RCF
d) M/s FACT
e) M/s NFL

iii) Disclosure of Transactions between the Company and related parties and the status of outstanding balances as on 31.3.2013:

a)	Recoverable from HFCL -	C.Y. Rs.148.81 Lakh P.Y. Rs.148.81 Lakh
b)	Recoverable from NFL -	C.Y. Rs.133.40 Lakh P.Y. Rs.133.40 Lakh
c)	Lease rent from NFL -	C.Y. Rs.17.02 Lakh P.Y. Rs.12.16 Lakh
d)	Lease rent of the Flat (Received) at B-14, Asian Games Village Complex, New Delhi occupied by Chairman, KRIBHCO. -	C.Y. Rs.10.26 Lakh P.Y. Rs.8.94 Lakh

6.0 खण्डीय प्रतिवेदन

कम्पनी में कोई परिचालन न होने के कारण प्रतिवेदन के लिये अलग खण्ड नहीं है।

7.0 आय पर कर

सरकार के निगम को बंद कर देने के निर्णय तथा प्रबन्धन की राय कि अब आस्थागित कर को समायोजित करने की कोई संभावना नहीं है, के कारण, आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी आय पर करों से संबंधित लेखा मानक 22 के अनुसार निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8.0 प्रति शेयर अर्जन

मूल	(+)	14353
द्रवीय	(+)	14353

9.0 जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ गत वर्ष के आंकड़ों का पुनर्गठन कर लिया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।

6.0 SEGMENT REPORTING

In the absence of any operation by the Company, there are no separate segments to be reported.

7.0 TAXES ON INCOME

In view of decision of the Government for closure of the operations of fertilizer units of the Company and further in the opinion of the Management, there being no probability of set off of net deferred tax assets, no adjustments have been carried out in respect of net deferred tax in terms of provisions of Accounting Standard 22 on Taxes on Income, issued by the ICAI.

8.0 Earning per share

Basic	(+)	14353
Diluted	(+)	14353

9.0 Previous year's figures have been regrouped / recasted wherever found necessary so as to make them comparable to current year's figures.

नगद प्रवाह विवरण
CASH FLOW STATEMENT

(रुपये '000 में)/(Rs. in 000's)

क.	परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :	A.	Cash flow from operating activities :		
	कर से पूर्व निवल हानि		Net Loss before Tax		107,780,750
	समायोजन के लिये :		Adjustment for:		
	मूल्यह्रास		Depreciation	2,485	
	ब्याज पर व्यय		Interest Expenses	1	
	ब्याज से आय		Interest Income	(53,043)	
	देयताओं में कमी		Decrease in liabilities	(107,559,743)	
	विविध देनदारों में कमी		Decrease in Sy. Debtors	(128)	
	वस्तुसूचियों में कमी		Decrease in Inventories	434	
	ऋण एवं अग्रिम में बढ़त		Increase in Loan & Advances	(252,967)	
					(107,862,961)
					(82,211)
ख.	निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह :	B.	Cash Flow from Investing Activities :		
	ब्याज से आय		Interest Income	53,043	
	स्थायी परिसम्पत्तियों में बढ़त		Addition of fixed assets	(30)	
					53,013
					(29,198)
ग.	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह :	C.	Cash Flow from Financing Activities :		
	ब्याज पर व्यय		Interest Expenses	(1)	
					(1)
					(29,199)

आरम्भ में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at beginning	618,079
अन्त में नकद एवं नकद के समान	Cash & Cash equivalent at the end	588,880
		(29,199)

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) में अधिसूचित लेखा मानक-3 के अनुसार उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति से बनाया गया है।

The above cash flow statement has been prepared under the indirect method set out in Accounting Standard-3 notified u/s 211(3C) of the Companies Act, 1956.

यह हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित नकद प्रवाह है।

This is the Cash Flow referred to in our report of even date.

ह०/- Sd/-
(विजय रंजन सिंह)/(Vijay Ranjan Singh)
निदेशक/Director

ह०/- Sd/-
(टी.सी.ए कल्याणी)/(T.C.A. Kalyaani)
निदेशक (वित्त)/Director (Finance)

ह०/- Sd/-
(सतीश चन्द्र)/(Satish Chandra)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
Chairman & Managing Director

ह०/- Sd/-
(एस. कोंगारी)/(S. Kongari)
महा प्रबंधक/General Manager

हमारी इसी तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते मै. घोष खन्ना एण्ड कम्पनी
M/s. Ghosh Khanna & Co.
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
प्रतिष्ठान रजिस्ट्रेशन संख्या 03366 एन
Firm Registration No. 03366N
ह०/- Sd/-
(रोहित कोहली)/(Rohit Kohli)
भागीदार/Partner
एम.संख्या/M.No. : 87722

स्थान/Place : नई दिल्ली/New Delhi
दिनांक/Dated : 19.06.2013